



भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई- 400 001

आरबीआई/2012-13/12

मास्टर परिपत्र सं.12/2012-13

02 जुलाई 2012

सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक

महोदया /महोदय,

मास्टर परिपत्र - बाह्य वाणिज्यिक उधार और व्यापारिक उधार

निवासियों द्वारा लिए गए बाह्य वाणिज्यिक उधार और व्यापारिक उधार, समय-समय पर यथासंशोधित [3 मई, 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.3/2000-आरबी](#), अर्थात् 3 मई 2000 की विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना और देना) विनियमावली, 2000 के साथ पठित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 6 की उप-धारा 3 के खंड (डी) द्वारा नियंत्रित होते हैं।

2. यह मास्टर परिपत्र "बाह्य वाणिज्यिक उधार और व्यापारिक ऋण " विषय पर सभी वर्तमान अनुदेशों को एक स्थान पर समेकित करता है। इस मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों/ अधिसूचनाओं की सूची परिशिष्ट में दी गई है।

3. यह परिपत्र 01 जुलाई 2013 को वापस ले लिया जाएगा तथा उसके स्थान पर इस विषय पर अद्यतन मास्टर परिपत्र जारी किया जाएगा।

भवदीय,

(रुद्र नारायण कर)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुक्रमणिका

भाग-I

बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)

I.(ए) स्वचालित / स्वतः अनुमोदित मार्ग

- i) पात्र उधारकर्ता
- ii) मान्यताप्राप्त उधारदाता
- iii) राशि और परिपक्वता
- iv) समग्र लागत सीमा
- v) अंतिम उपयोग
- vi) अंतिम उपयोग अनुमत नहीं
- vii) गारंटी
- viii) ज़मानत
- ix) बाह्य वाणिज्यिक उधार की आय को विदेशों में रखना
- x) समयपूर्व भुगतान
- xi) मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार का पुनर्वित्तपोषण
- xii) कर्ज भुगतान
- xiii) क्रियाविधि

I (बी) अनुमोदन मार्ग

- i) पात्र उधारकर्ता
- ii) मान्यताप्राप्त उधारदाता
- iii) राशि और परिपक्वता
- iv) समग्र लागत सीमा
- v) अंतिम उपयोग
- vi) रुपया ऋणों की अदायगी और/अथवा भारतीय कंपनियों के लिए विदेशी मुद्रा अर्जन के साथ नए रुपया पूंजी व्यय
- vii) अंतिम उपयोग अनुमत नहीं
- viii) गारंटी
- ix) ज़मानत
- x) बाह्य वाणिज्यिक उधार की आय को विदेशों में रखना
- xi) समयपूर्व भुगतान
- xii) मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार का पुनर्वित्तपोषण/पुनर्निर्धारण
- xiii) कर्ज भुगतान
- xiv) क्रियाविधि
- xv) विदेशी मुद्रा विनिमय योग्य बांड
- xvi) अधिकार प्रदत्त समिति

II विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों का मोचन

- III रिपोर्ट करने की व्यवस्था और जानकारी का प्रसारण
- i) रिपोर्ट करने की व्यवस्था
- ii) जानकारी का प्रसारण
- IV. संरचनात्मक दायित्व
- V. टेकआउट वित्त पोषण
- VI. बाह्य वाणिज्यिक उधार के मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन
- VII. बाह्य वाणिज्यिक उधार का ईक्विटी में परिवर्तन
- VIII. बाह्य वाणिज्यिक उधार को निश्चित रूप देना (Crystallisation)
- IX. पूर्ववर्ती 5 मिलियन अमरीकी डॉलर योजना के अंतर्गत बाह्य वाणिज्यिक उधार क्रियाविधि को युक्तिसंगत बनाना-
- X. प्राधिकृत व्यापारियों को अधिकारों का प्रत्यायोजन
- (ए) कमी /चुकौती सारणी में परिवर्तन/आशोधन
- (बी) उधार की मुद्रा में परिवर्तन
- (सी) प्राधिकृत व्यापारी बैंक का परिवर्तन/को बदलना
- (डी) उधारकर्ता कंपनी के नाम में परिवर्तन
- (ई) मान्यताप्राप्त उधारदाता में परिवर्तन
- (एफ) एलआरएन रद्द करना
- (जी) बाह्य वाणिज्यिक उधार आगम राशि के अंतिम उपयोग में परिवर्तन
- (एच) बाह्य वाणिज्यिक उधार की राशि में कमी
- (आई) बाह्य वाणिज्यिक उधार की समग्र राशि में कमी

भाग-II

भारत में आयात के लिए व्यापारिक उधार

- (ए) राशि और परिपक्वता अवधि
- (बी) समग्र लागत सीमा
- (सी) गारंटी
- (डी) रिपोर्टिंग व्यवस्था

अनुबंध-I

फार्म ईसीबी

अनुबंध -II

फार्म 83

अनुबंध -III

ईसीबी-2

अनुबंध -IV

फार्म - टीसी

अनुबंध -V

प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा जारी गारंटी/ वचनपत्र/ लेटर ऑफ कंफर्ट संबंधी विवरण

अनुबंध -VI

औसत परिपक्वता की गणना - उदाहरण

परिशिष्ट

अधिसूचनाओं/ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्रों की सूची

भाग-I

बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)

वर्तमान में भारतीय कंपनियों को निम्नलिखित पद्धतियों से विदेश से निधियां लाने की अनुमति है।

(i) बाह्य वाणिज्यिक उधार का संबंध अनिवासी उधारदाताओं से लिए गये कम से कम तीन वर्ष की औसत परिपक्वता अवधिवाले बैंक ऋण, क्रेता ऋण, आपूर्तिकर्ता ऋण, प्रतिभूतिकृत (सिक्कुरिटाइज्ड) लिखत {अर्थात् अस्थिर दर वाले नोटों और निर्धारित दर वाले बांड, अपरिवर्तनीय, वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय अथवा आंशिक रूप से परिवर्तनीय अधिमानी(प्रिफरेंस) शेयर} रूपी वाणिज्यिक ऋणों से है।

(ii) विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड का तात्पर्य उस बांड से है जो किसी भारतीय कंपनी द्वारा विदेशी मुद्रा में जारी किया गया हो और जिसका मूल तथा ब्याज विदेशी मुद्रा में देय हो। इसके अलावा यह अपेक्षित है कि ये बांड योजना अर्थात् "विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड और सामान्य शेयर निर्गम (जमा रसीद व्यवस्था के माध्यम से) योजना , 1993" के अनुसार जारी किये जायें और अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में अभिदान किया जाये तथा ऋण लिखतों से संबद्ध ईक्विटी से संबंधित वारंट के आधार पर पूर्णतः अथवा आंशिक रूप में किसी भी प्रकार से, जारीकर्ता कंपनी के सामान्य शेयरों में परिवर्तनीय हों। बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) नीति विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों (एफसीसीबी) पर लागू है। विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड निर्गम के लिए, समय-समय पर यथासंशोधित, [7 जुलाई, 2004 की अधिसूचना फेमा सं. 120/आर बी-2004](#) के प्रावधानों का अनुपालन करना आवश्यक है।

(iii) अधिमानी (प्रिफरेंस) शेयर (अर्थात् अपरिवर्तनीय, वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय अथवा आंशिक रूप से परिवर्तनीय), जिसके निर्गम के लिए निधियां 1 मई 2007 को अथवा उसके बाद प्राप्त की गयी हैं, कर्ज के रूप में माने जाएंगे तथा बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति के अनुसार होंगे। तदनुसार, बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए लागू सभी मानदण्ड अर्थात् पात्र उधारकर्ता, मान्यताप्राप्त उधारदाता, राशि और परिपक्वता, अंतिम उपयोग संबंधी शर्तें, आदि लागू होंगे। चूंकि इन लिखतों को रुपयों में मूल्यवर्गीकृत किया जाएगा, रुपया ब्याज दर लिबोर प्लस के समतुल्य स्वैप पर आधारित होगी जो समान परिपक्वता के बाह्य वाणिज्य उधारों के लिए अनुमत है।

(iv) विदेशी मुद्रा विनिमय योग्य बांड (एफसीईबी) से उस बांड का अभिप्राय है जो विदेशी करेंसी में निश्चित किया जाये, जिसकी मूल राशि तथा ब्याज दोनों ही विदेशी मुद्रा में देय हों, जिसे निर्गम कंपनी द्वारा जारी किया गया हो, भारत के बाहर रहनेवाले ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा में अभिदत्त हो, जो विदेशी करेंसी में हो तथा दूसरी कंपनी जिसे ऑफर्ड कंपनी कहा जाता है के ईक्विटी शेयर में विनिमय योग्य हो, जो या तो पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से अथवा ऋण लिखतों से संबद्ध किसी ईक्विटी से संबंधित वारंट के आधार पर परिवर्तनीय हो। विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) में, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की 15 फरवरी 2008 की अधिसूचना जी.एस.आर.89(ई) द्वारा अधिसूचित "विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) निर्गम योजना, 2008" का पालन किया जाए। बाह्य वाणिज्यिक उधारों का नियंत्रण करनेवाले दिशा-

निर्देश, नियम आदि विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड के लिए भी लागू हैं।

बाह्य वाणिज्यिक उधार को दो मार्गों, अर्थात (i) पैराग्राफ I (ए) में दिए गए स्वतः अनुमोदित मार्ग और (ii) पैराग्राफ I (बी) में दिए गए अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत प्राप्त किया जा सकता है।

संपदा क्षेत्र-औद्योगिक क्षेत्र, विशेषकर भारत में संरचनात्मक क्षेत्र और पैरा I(ए)(i) (ए) के तहत दर्शाये गये अनुसार विशिष्ट सेवा क्षेत्रों में निवेश हेतु बाह्य वाणिज्यिक उधार स्वतः अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत आते हैं अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक / सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। स्वतः अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत पात्रता के संबंध में संदेह हो तो, आवेदक अनुमोदन मार्ग का सहारा ले सकते हैं।

I (ए) स्वचालित/स्वतः अनुमोदित मार्ग

बाह्य वाणिज्यिक उधारों के लिए प्रस्तावों के निम्नलिखित प्रकार अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत आते हैं।

i) पात्र उधारकर्ता

(ए) होटल, अस्पताल, सॉफ्टवेयर क्षेत्रों की उन कंपनियों सहित कंपनियां (कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन पंजीकृत) और वित्तीय मध्यस्थों के सिवाय, इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियां (आईएफसी) जैसे बैंक, वित्तीय संस्थाएं (एफआई), आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) बाह्य वाणिज्यिक उधार उगाहने के लिए पात्र हैं। व्यक्ति, ट्रस्ट और लाभ न कमानेवाले संगठन बाह्य वाणिज्यिक उधार उगाहने के पात्र नहीं हैं।

(बी) विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाइयों को अपनी आवश्यकता के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार उगाहने की अनुमति है। फिर भी, वे सहयोगी संस्थाओं अथवा स्व-देशी टैरिफ एरिया में किसी इकाई को बाह्य वाणिज्यिक उधार निधियों का अंतरण अथवा आगे उधार नहीं दे सकती हैं।

(सी) व्यष्टि (माइक्रो) वित्तीय गतिविधियों में कार्यरत गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने के लिए पात्र हैं।

(डी) माइक्रो फाइनेंस गतिविधियों में लगी माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं (कंपनियां) बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने के लिए पात्र हैं। समितियाँ पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं (कंपनियाँ), भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अंतर्गत पंजीकृत माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं (कंपनियाँ), परंपरागत राज्य स्तरीय सहकारिता अधिनियमों, राष्ट्रीय स्तर के बहु-राज्य सहकारिता विधान या नए राज्य स्तरीय परस्पर सहायता सहकारी अधिनियमों के अंतर्गत पंजीकृत माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं (कंपनियाँ), जो सहकारी बैंक नहीं हैं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों-माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के रूप में वर्गीकृत हैं तथा 2 दिसंबर 2011 के परिपत्र सं. गैबैपवि.कंपरि.सं. नीति प्रभा.सं. 250/03.10.01/2011-12 में विनिर्दिष्ट मानदण्डों का अनुपालन करती हैं; और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत वे कंपनियाँ जो माइक्रो फाइनेंस गतिविधियों में लगी हैं।

व्यष्टि (माइक्रो) वित्तीय गतिविधियों में कार्यरत गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) तथा समितियाँ, न्यासों और सहकारी संस्थाओं के रूप में पंजीकृत और माइक्रो फाइनेंस के कारोबार में लगी माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं (कंपनियों) ऐसे गैर-सरकारी संगठनों का (i) भारत में विदेशी मुद्रा का कारोबार करने के लिए प्राधिकृत अनुसूचित वाणिज्य बैंक के साथ कम से कम 3 वर्षों का संतोषजनक उधार संबंधी संव्यवहार होना चाहिए और (ii) पदनामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक से उधारकर्ता कंपनी के बोर्ड/प्रबंध समिति की 'सही और उचित' स्थिति पर समुचित सावधानी का एक प्रमाणपत्र आवश्यक होगा।

(ii) मान्यता पात्र उधारदाता

अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त स्रोतों, जैसे (ए) अंतर्राष्ट्रीय बैंक, (बी) अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाज़ार, (सी) बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं (जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्त कंपनी (आईएफसी), एशियाई विकास बैंक (एडीबी), सीडीसी, आदि),/ क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाओं और सरकार के स्वामित्ववाली विकास वित्तीय संस्थाओं, (डी) निर्यात ऋण एजेंसियों, (ई) उपकरणों के आपूर्तिकर्ताओं, (एफ) विदेशी सहयोगियों और (जी) विदेशी ईक्विटी धारकों (पहले की समुद्रपारीय कंपनी निकायों को छोड़कर) से उधारकर्ता बाह्य वाणिज्यिक उधार की उगाही कर सकते हैं।

व्यष्टि (माइक्रो) वित्तीय गतिविधियों में कार्यरत गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) तथा समितियों, न्यासों और सहकारी संस्थाओं के रूप में पंजीकृत माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं (कंपनियों) (ए) अंतर्राष्ट्रीय बैंकों, (बी) बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं, (सी) निर्यात ऋण एजेंसियों, (डी) समुद्रपारीय संगठनों और (ई) व्यक्तियों से बाह्य वाणिज्यिक उधार ले सकते हैं।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों-माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं (कंपनियों) को बहुपक्षीय (multilateral) संस्थाओं यथा आईएफसी, एडीबी, आदि/रीजनल फाइनेंसियल संस्थाओं/ अंतर्राष्ट्रीय बैंकों/विदेशी ईक्विटी धारकों और समुद्रपारीय संगठनों से बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने के लिए अनुमति होगी।

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत कंपनियों और जो माइक्रो फाइनेंस गतिविधियों में लगी हैं, को अंतर्राष्ट्रीय बैंकों, बहुपक्षीय (multilateral) वित्तीय संस्थाओं, निर्यात ऋण एजेंसियों, विदेशी ईक्विटी धारकों, समुद्रपारीय संगठनों और व्यक्तियों से बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की अनुमति होगी।

स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत "मान्यता प्राप्त उधारदाता" के रूप में पात्र होने के लिए एक "विदेशी ईक्विटी धारक" को नीचे निर्धारित किए गए अनुसार उधारकर्ता कंपनी में प्रदत्त ईक्विटी की न्यूनतम धारिता की जरूरत होगी :

- (i) 5 मिलियन अमरीकी डालर तक बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए - उधारदाता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से धारित 25 प्रतिशत की न्यूनतम प्रदत्त ईक्विटी;
- (ii) 5 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक के लिए - उधारदाता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से धारित 25 प्रतिशत की न्यूनतम प्रदत्त ईक्विटी और ईसीबी देयता- ईक्विटी अनुपात 4:1 से अधिक न हो।

चुकता पूंजी के अलावा, नवीनतम लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार मुक्त आरक्षित निधि (विदेशी मुद्रा में प्राप्त शेयर प्रीमियम सहित) के आकलन हेतु टर्म बाह्य वाणिज्यिक उधार देयता-ईक्विटी अनुपात में विदेशी ईक्विटी धारक की ईक्विटी की गणना के लिए भी इसे हिसाब में लिया जाएगा। जहाँ उधार लेने वाली कंपनी में एक से अधिक विदेशी ईक्विटी धारक हैं, वहाँ संबंधित उधारदाता(ओं) द्वारा विदेशी मुद्रा में लाए गए शेयर प्रीमियम के अंश ही अनुमत बाह्य वाणिज्यिक उधार राशि की गणना के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार देयता-ईक्विटी अनुपात हेतु शामिल किए जाएंगे।

'बाह्य वाणिज्यिक उधार देयता' की गणना के लिए न केवल प्रस्तावित उधार को हिसाब में लिया जाएगा बल्कि उसी विदेशी ईक्विटी धारक उधारदाता से लिए गए बाह्य वाणिज्यिक उधार की बकाया राशि भी शामिल की जाएगी।

निम्नलिखित सुरक्षा उपायों का अनुपालन करने वाले, समुद्रपारीय संगठन और व्यक्ति, बाह्य वाणिज्यिक उधार दे सकते हैं:

- (i) बाह्य वाणिज्यिक उधार देने की योजना वाले (देने के इच्छुक) समुद्रपारीय संगठनों को अपने बारे में ऐसे समुद्रपारीय (ओवरसीज़) बैंक से, समुचित सावधानी बरतने के बाबत, प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा जो अपने देश में विनियामक (रेगुलेटर) द्वारा विनियमित हो और लागू वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (एफएटीएफ) के दिशानिर्देशों का पालन करता हो। समुचित सावधानी बरतने के बाबत, प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र में, यह उल्लेख हो कि (i) उधारदाता संस्था (एंटिटी) प्रमाणपत्रदाता बैंक में न्यूनतम विगत दो वर्षों से खाता रखे है, (ii) उधारदाता संस्था (एंटिटी) का गठन स्थानीय विधि के अधीन हुआ है और बिजनेस/स्थानीय समुदाय द्वारा उसे अच्छी प्रतिष्ठा वाली संस्था माना जाता है और (iii) उसके खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई लंबित नहीं है।

(ii) उधार देने वाले व्यक्ति को ऐसे समुद्रपारीय (ओवरसीज़) बैंक से, समुचित सावधानी बरतने के बावत, अपने बारे में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा कि उधार देने वाले व्यक्ति का उसके पास न्यूनतम विगत दो वर्षों से खाता है। इसके अलावा खाते के संबंध में लेखापरीक्षित विवरण और आयकर विवरणी जैसे अन्य साक्ष्य/दस्तावेज भी समुद्रपारीय उधारदाता प्रस्तुत कर सकता है जिसे समुद्रपारीय बैंक द्वारा प्रमाणीकृत और अग्रेसित किया गया हो। जिन देशों के बैंकों से यह अपेक्षा नहीं है कि वे "अपने ग्राहक को जानने" से संबंधित दिशानिर्देशों का पालन करें, ऐसे देशों के उधार देने के इच्छुक व्यक्तियों द्वारा बाह्य वाणिज्यिक उधार दिए जाने की अनुमति नहीं होगी।

iii) राशि और परिपक्वता

(ए) एक वित्तीय वर्ष में बाह्य वाणिज्यिक उधार की अधिकतम राशि, जो होटल, अस्पताल और सॉफ्टवेयर क्षेत्र की उन कंपनियों से भिन्न कोई कंपनी उगाह सकती है, वह 750 मिलियन अमरीकी डालर है अथवा उसके समतुल्य राशि है।

(बी) सेवा क्षेत्र अर्थात् होटलों, अस्पतालों और सॉफ्टवेयर क्षेत्र की कंपनियों को अनुमत अंतिम उपयोगों के लिए विदेशी मुद्रा और/अथवा रुपया पूंजीगत व्यय करने के लिए एक वित्तीय वर्ष में 200 मिलियन अमरीकी डालर अथवा उसके समतुल्य राशि तक बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की अनुमति दी गयी है। बाह्य वाणिज्यिक उधार की आगम राशि का उपयोग भूमि के अधिग्रहण के हेतु नहीं किया जाना चाहिए।

(सी) एक वित्तीय वर्ष में तीन वर्ष की न्यूनतम औसत परिपक्वता वाले 20 मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य राशि के बाह्य वाणिज्यिक उधार। औसत परिपक्वता अवधि की गणना का उदाहरण अनुबंध VI में दिया गया है।

(डी) पांच वर्ष की न्यूनतम औसत परिपक्वता वाले 20 मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य राशि से अधिक और 750 मिलियन अमरीकी डॉलर तक अथवा उसके समतुल्य राशि के बाह्य वाणिज्यिक उधार।

(ई) व्यष्टि (माइक्रो) वित्तीय गतिविधियों में कार्यरत गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) तथा माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं एक वित्तीय वर्ष में 10 मिलियन अमरीकी डालर अथवा उसके समतुल्य राशि तक बाह्य वाणिज्यिक उधार उगाह सकते हैं। पदनामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उधारकर्ता के विदेशी मुद्रागत एक्सपोजर की कमी के समय एक्सपोजर पूरी तरह से हेज किए गए हैं।

(एफ) 20 मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य राशि तक के बाह्य वाणिज्यिक उधार में क्रय/ विक्रय विकल्प हो सकते हैं बशर्ते क्रय/विक्रय विकल्प का उपयोग करने से पहले औसत तीन वर्ष की औसत न्यूनतम परिपक्वता अवधि का पालन किया जाता हो।

(जी) सभी पात्र उधारकर्ता मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार 'विदेशी ईक्विटी धारकों' से रुपए में नामित (मूल्यवर्गीकृत) बाह्य वाणिज्यिक उधार ले सकते हैं।

(एच) माइक्रो फाइनेंस गतिविधियों में संलग्न एनजीओ को मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार समुद्रपारीय संगठनों तथा व्यक्तियों से रुपयों में नामित बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की अनुमति दी गयी है।

iv) समग्र लागत सीमा

इसमें वायदा फीस, समयपूर्व चुकौती फीस और भारतीय रुपये में देय फीस के सिवाय ब्याज दर, विदेशी मुद्रा में अन्य फीस और खर्चें शामिल हैं। भारतीय रुपये में रोक रखे गए कर (withholding tax) के भुगतान को समग्र लागत की गणना में शामिल नहीं किया जाता है।

बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए समग्र लागत सीमा की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। निम्नलिखित समग्र लागत सीमा 30 सितंबर 2012 तक लागू तथा तदुपरांत समीक्षा के अधीन है :

औसत परिपक्वता अवधि	छ : माह तक के लाइबोर * से ऊपर समग्र लागत सीमा
तीन वर्ष और पांच वर्ष तक	350 आधार बिंदु
पांच वर्ष से अधिक	500 आधार बिंदु

*उधार की संबंधित मुद्रा अथवा लागू बेंचमार्क के लिए

नियत (फिक्स्ड) दर वाले ऋणों के मामले में मार्जिन सहित स्वाप लागत, लागू मार्जिन सहित फ्लोटिंग दर के समतुल्य होनी चाहिए।

v) अंतिम उपयोग

(ए) बाह्य वाणिज्यिक उधार की उगाही भारत में केवल स्थावर संपत्ति (संपदा) क्षेत्र - औद्योगिक क्षेत्र जिसमें लघु और मध्यम दर्जे के उपक्रम शामिल हैं और संरचनात्मक क्षेत्र और विशेष सेवा क्षेत्र अर्थात् होटल, अस्पताल और सॉफ्टवेयर में निवेश के लिए [पूंजी माल का आयात (विदेशी व्यापार नीति में डीजीएफटी द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार) नयी परियोजनाओं का क्रियान्वयन, मौजूदा उत्पादन इकाइयों का आधुनिकीकरण/ विस्तार के लिए] निवेश के लिए की जा सकती है। संरचनात्मक क्षेत्र की परिभाषा इस प्रकार की गई है - (i) ऊर्जा, (ii) दूरसंचार, (iii) रेलवे, (iv) पुल समेत सड़क, (v) बंदरगाह और हवाई अड्डा, (vi) औद्योगिक पार्क और (vii) शहरी संरचना (जल आपूर्ति, स्वच्छता एवं जलमल निकासी परियोजनाएं) और (viii) खनन, अन्वेषण और परिष्करण तथा (ix) कृषि और अनुषंगी उत्पाद, समुद्री उत्पादों और मांस के परिरक्षण अथवा स्टोरेज के लिए कृषि स्तर पर प्री-कुलिंग सहित कोल्ड स्टोरेज अथवा शीत गृह सुविधा।

(बी) विदेश में संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में भारतीय प्रत्यक्ष निवेश के संबंध में वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धांतों के तहत संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश के लिए किया जा सकता है।

(सी) बाह्य वाणिज्यिक उधारों की आगम राशि का उपयोग विनिवेश प्रक्रिया में शेयरों के पहले चरण के अधिग्रहण के लिए अनुमत है और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम शेयरों के सरकार के विनिवेश कार्यक्रम के अंतर्गत जनता को ऑफर करना दूसरे चरण के लिए अनिवार्य है।

(डी) इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की भारतीय कंपनियों के लिए आईडीसी को, जहाँ "इंफ्रास्ट्रक्चर" का अर्थ बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी मौजूदा दिशानिर्देशों में परिभाषित है, ऐसी कंपनियों के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार का उपयोग आईडीसी की अदायगी के लिए होगा बशर्ते आईडीसी का पूंजीकरण हो और आईडीसी परियोजना लागत का हिस्सा हो।

(ई) स्वयं सहायता समूहों को उधार देने के लिए अथवा व्यष्टि ऋण के लिए अथवा व्यष्टि वित्तीय गतिविधियों में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों द्वारा क्षमता निर्माण सहित वास्तविक व्यष्टि वित्तीय गतिविधि के लिए।

(एफ) स्पेक्ट्रम विनियोजन के लिए भुगतान ।

(जी) इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियां अर्थात् रिज़र्व बैंक द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियों के रूप में वर्गीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बकाया बाह्य वाणिज्यिक उधारों सहित बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति के तहत यथा परिभाषित संरचना क्षेत्र को आगे उधार देने के लिए उनकी निजी निधियों के 50 प्रतिशत तक बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने के लिए निम्नलिखित शर्तों के पालन की शर्त पर अनुमति दी गयी है: i) गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के [12 फरवरी 2010 के परिपत्र डीएनबीएस.पीडी.सीसी सं.168/03.02.089/2009-10](#) में निर्धारित मानदंडों का पालन करना ii) मुद्रा जोखिम का पूर्ण बचाव । पदनामित प्राधिकृत व्यापारी को बाह्य वाणिज्यिक उधार आवेदन प्रमाणित करते समय मौजूदा मानदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करना चाहिए।

(एच) सड़कों और महामार्गों के लिए चुंगी प्रणाली के रखरखाव और परिचालन के लिए पूंजी व्यय बशर्ते वह मूल परियोजना का हिस्सा हो।

vi) अंतिम उपयोग अनुमत नहीं

उपर्युक्त में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न, उधार राशि का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों सहित किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा, अर्थात्:

(ए) किसी कंपनी द्वारा भारत में आगे उधार देने अथवा पूंजी बाज़ार में निवेश अथवा किसी कंपनी (उसके किसी हिस्से का) के अधिग्रहण के लिए [विशेष प्रयोजन संस्था (एसपीवीएस),

मुद्रा बाजार(मनी मार्केट) म्युच्युअल फंड (एमएमएमएफएस), आदि में निवेश पूंजी बाजारों में निवेश के रूप में समझे जाते हैं]।

(बी) स्थावर संपदा क्षेत्र के लिए।

(सी) कार्यशील पूंजी, सामान्य कारपोरेट उद्देश्यों और वर्तमान रुपया ऋणों की चुकौती के लिए।

vii) गारंटी

बाह्य वाणिज्यिक उधार के संबंध में भारत से बैंक, वित्तीय संस्थाओं और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा गारंटी,आपाती साखपत्र,वचन पत्र अथवा लेटर ऑफ कंफर्ट जारी करने की अनुमति नहीं है।

viii) ज़मानत

उधारदाता/आपूर्तिकर्ता को दी जाने वाली ज़मानत के विकल्प का चुनाव उधारकर्ता पर ही छोड़ दिया गया है। तथापि, समुद्रपारीय उधारदाता के पक्ष में अचल परिसंपत्तियों और शेयर जैसी वित्तीय प्रतिभूतियों पर प्रभार का सृजन, समय-समय पर यथासंशोधित क्रमशः 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.21/ आरबी-2000 के विनियम 8 और 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.20/आरबी-2000 के विनियम 3 के अधीन है। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंकों को उधारकर्ता द्वारा उठाये जानेवाले बाह्य वाणिज्यिक उधार सुरक्षित करने हेतु अचल परिसंपत्तियों, वित्तीय प्रतिभूतियों पर प्रभार का सृजन करने और समुद्रपारीय उधारदाता/सिक्क्यूरिटी ट्रस्टी के पक्ष में कारपोरेट अथवा व्यक्तिगत गारंटी जारी करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा),1999 के तहत 'आपत्ति नहीं' जारी करने के लिए प्राधिकार दिये गये हैं।

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा),1999 के तहत 'अनापत्ति' प्रदान करने से पहले, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए और संतुष्ट होना चाहिए कि (i)निहित बाह्य वाणिज्यिक उधार मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करते हैं, (ii) अचल परिसंपत्तियों/ वित्तीय प्रतिभूतियों पर प्रभार सृजित करने/कारपोरेट अथवा व्यक्तिगत गारंटी प्रस्तुत करने के लिए उधारकर्ता को आवश्यक ऋण करार में जमानत संबंधी खंड मौजूद है, (iii) ऋण करार पर उधारदाता और उधारकर्ता दोनों द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं, और (iv) उधारकर्ता ने रिज़र्व बैंक से ऋण पंजीकरण नंबर(एलआरएन) प्राप्त किया है।

उपर्युक्त शर्तों का पालन करने पर, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक अचल परिसंपत्तियों, वित्तीय प्रतिभूतियों पर प्रभार सृजित करने और कारपोरेट अथवा व्यक्तिगत गारंटी जारी करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा),1999 के तहत निम्नलिखित शर्तों पर 'आपत्ति नहीं' सूचित कर सकते हैं:

ए) अचल परिसंपत्तियों पर प्रभार सृजित करने के लिए या तो उधारदाता अथवा सिक्क्यूरिटी ट्रस्टी के पक्ष में विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा),1999 के तहत निम्नलिखित शर्तों पर 'आपत्ति नहीं' सूचित कर सकते हैं :

- (i) ' आपत्ति नहीं ' प्रमाणपत्र केवल निवासी बाह्य वाणिज्यिक उधार उधारकर्ता को ही प्रदान किया जाएगा ।
- (ii) अचल परिसंपत्तियों पर इस प्रकार के प्रभार की अवधि निहित बाह्य वाणिज्यिक उधार की परिपक्वता अवधि के समान होनी चाहिए ।
- (iii) इस 'आपत्ति नहीं ' का यह अर्थ न लिया जाए कि इससे समुद्रपारीय उधारदाता/ सिक्यूरिटी ट्रस्टी द्वारा भारत में अचल परिसंपत्ति (प्रॉपर्टी) के अधिग्रहण के लिए अनुमति मिल गयी है ।
- (iv) ऋण प्रभार के प्रवर्तन/लागू करने की स्थिति में अचल परिसंपत्ति (प्रॉपर्टी) भारत में किसी निवासी व्यक्ति को ही बेची जानी चाहिए और बिक्री आगम की राशि बकाया बाह्य वाणिज्यिक उधार के परिसमापन के लिए प्रत्यावर्तित की जानी चाहिए ।

बी) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक बाह्य वाणिज्यिक उधार सुरक्षित करने के लिए प्रवर्तकों द्वारा धारित उधारकर्ता कंपनी साथ ही उधारकर्ता की स्वदेशी सहायक कंपनियों में धारित शेयर गिरवी रखने के लिए निवासी बाह्य वाणिज्यिक उधार के उधारकर्ता को विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत निम्नलिखित शर्तों पर 'आपत्ति नहीं ' सूचित कर सकते हैं :

- (i) इस प्रकार के गिरवी की अवधि निहित बाह्य वाणिज्यिक उधार की परिपक्वता अवधि के समान होनी चाहिए ।
- (ii) गिरवी लागू करने की स्थिति में, अंतरण वर्तमान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के अनुसार होना चाहिए ।
- (iii) कंपनी के सांविधिक लेखा-परीक्षक से एक प्रमाणपत्र कि बाह्य वाणिज्यिक उधार की आगम राशि का उपयोग अनुमत अंतिम उपयोग/उपयोगों के लिए किया गया है/किया जाएगा ।

सी) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत कंपनी अथवा व्यक्तिगत गारंटी जारी करने के लिए निवासी बाह्य वाणिज्यिक उधार के उधारकर्ता को 'अनापत्ति' निम्नलिखित को प्राप्त करने पर सूचित कर सकते हैं :

- (i) इस प्रकार की गारंटी जारीकर्ता कंपनी से कंपनी को गारंटी जारी किये जाने के लिए कंपनी की ओर से अथवा किसी व्यक्तिगत क्षमता में इस प्रकार की गारंटी निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम दर्शाते हुए बोर्ड का प्रस्ताव ।
- (ii) बाह्य वाणिज्यिक उधार के ब्योरे दर्शाते हुए वैयक्तिक गारंटी जारी करने के लिए व्यक्तियों से प्राप्त विशेष अनुरोध पर ।
- (iii) यह सुनिश्चित करते हुए कि कंपनी अथवा वैयक्तिक गारंटी की अवधि निहित बाह्य वाणिज्यिक

उधार की परिपक्वता की अवधि एक समान होनी चाहिए।

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक अनिवार्य रूप से यह स्पष्ट करें कि 'अनापत्ति' विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के प्रावधानों के तहत विदेशी मुद्रा के दृष्टिकोण से जारी की जाती है और उसका अर्थ किसी अन्य नियम/विनियम के तहत किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी अथवा सरकार द्वारा किसी अनुमोदन के रूप में नहीं लगाना चाहिए। यदि संबंधित नियमों/विनियमों के तहत किसी अन्य नियामक/सांविधिक प्राधिकारी अथवा सरकार से आगे कोई अनुमोदन अथवा अनुमति अपेक्षित है तो आवेदक को लेनदेन करने से पहले संबंधित प्राधिकारी का अनुमोदन लेना चाहिए। इसके अलावा, 'आपत्ति नहीं' का यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि यह फेमा अथवा किसी अन्य नियमों अथवा विनियमों के प्रावधानों के तहत किन्हीं अनियमितताओं, उल्लंघन अथवा अन्य गलतियों को नियमित अथवा वैध करने का एक उपाय है।

ix) बाह्य वाणिज्यिक उधार की आय को विदेशों में रखना

उधारकर्ताओं को बाह्य वाणिज्यिक उधार की आय को अनुमत अंतिम-उपयोग करने तक या तो विदेश में रखने अथवा भारत में प्रेषित करने के लिए अनुमति दी गयी है।

भारत में रुपया व्यय जैसे, पूंजीगत माल को स्थानीय स्तर पर जुटाने, स्वयं सहायता समूहों अथवा माइक्रो क्रेडिट के लिए ऋण देने, स्पैक्ट्रम आबंटन के भुगतान करने, आदि के लिए विदेश में उठायी/ली गयी बाह्य वाणिज्यिक उधारों की प्राप्तियां भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी। बैंकों के पास रखे रुपया खाते में जमा करने के लिए तत्काल लायी जाएं। दूसरे शब्दों में, केवल विदेशी मुद्रा व्यय के लिए रखी गयी बाह्य वाणिज्यिक उधारों की प्राप्तियां उपयोग करने तक विदेश में रोक रखी जा सकती हैं। तथापि, इन रुपया निधियों का अब तक की तरह पूंजी बाजारों, स्थावर संपदा में निवेश करने अथवा इंटर-कार्पोरेट उधार के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।

विदेश में रखी गई बाह्य वाणिज्यिक उधार प्राप्तियों का निम्नलिखित चल परिसंपत्तियों में निवेश किया जा सकता है: (ए) स्टैंडर्ड ऐण्ड पुअर/ फिच आइबीसीए द्वारा कम से कम AA(-) अथवा मूडीज़ द्वारा कम से कम Aa3 रेटिंग प्राप्त बैंक द्वारा प्रस्तावित जमाराशियों अथवा जमा प्रमाणपत्रों अथवा अन्य उत्पादों (लिखत); (बी) कम से कम उपर्युक्त रेटिंगवाले एक वर्ष की परिपक्वता अवधि वाले खज़ाना बिल और मौद्रिक लिखत, और (सी) विदेश में भारतीय बैंकों की समुद्रापारीय शाखाएं/ सहयोगी के पास जमाराशियों में। निधियों का निवेश इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि भारत में उधारकर्ता द्वारा जब कभी निधियों की आवश्यकता महसूस की जाती है, तब निवेश परिसमाप्त किया जा सके।

यह सुनिश्चित करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व संबंधित उधारकर्ता का है कि भारत में रुपया व्यय करने हेतु लिए गए बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) की प्राप्तियां भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंकों के पास रखे गये उनके रुपया खाते में जमा करने के लिए भारत को प्रत्यावर्तित की जाती हैं और बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) लेने संबंधी दिशानिर्देशों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा तथा ऐसा करना विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत दण्डात्मक कार्रवाई को आमंत्रित कर सकता है। नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना भी अपेक्षित है कि रुपया व्यय के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) की प्राप्तियां प्राप्त

होने पर (drawdown) तत्काल भारत को प्रत्यावर्तित की जाती हैं।

x) समयपूर्व भुगतान

प्राधिकृत व्यापारी बैंक 500 मिलियन अमरीकी डॉलर तक के बाह्य वाणिज्यिक उधार के समयपूर्व भुगतान की अनुमति भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बगैर दे सकते हैं बशर्ते ऋण पर यथालागू न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि का अनुपालन किया जाता है।

xi) मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार का पुनर्वित्तपोषण

नये वाणिज्यिक उधार उगाहते हुए मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार का पुनर्वित्तपोषण किया जा सकता है बशर्ते नया बाह्य वाणिज्यिक उधार कम समय लागत पर उगाहा जाता है और मूल बाह्य वाणिज्यिक उधार की शेष परिपक्वता अवधि को बनाए रखा जाता है।

तथापि, मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार का पुनर्वित्तीयन अनुमोदन मार्ग के तहत उच्चतर समय लागत पर बाह्य वाणिज्यिक उधार की उगाही करते हुए किया जा सकता है।

xii) कर्ज का भुगतान

सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, समय-समय पर, जारी बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक को मूल धन, ब्याज तथा अन्य प्रभारों की किस्त के विप्रेषण करने की सामान्य अनुमति है।

xiii) क्रियाविधि

स्वतः अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत बाह्य वाणिज्यिक उधार उगाहने के लिए उधारकर्ता भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना ही, बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए मान्यता प्राप्त उधारदाता के साथ कर्ज लेने का करार कर सकता है। बाह्य वाणिज्यिक उधार का आहरण(ड्रॉइंग डाउन) करने से पहले उधारकर्ता भारतीय रिज़र्व बैंक से ऋण पंजीकरण संख्या प्राप्त करें। ऋण पंजीकरण संख्या प्राप्त करने की क्रियाविधि पैरा II (i)(बी) में विस्तृत रूप से दी गई है।

I.(बी) अनुमोदन मार्ग

i) पात्र उधारकर्ता

अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत बाह्य वाणिज्यिक उधार के निम्नलिखित किस्म के प्रस्ताव शामिल हैं।

ए) विशिष्ट प्रयोजनों के लिए एक्जिम बैंक द्वारा आगे उधार देने संबंधी मामले-दर-मामले पर विचार किया जाएगा।

बी) सरकार के अनुमोदन के अनुसार टेक्स्टाइल अथवा स्टील क्षेत्र की पुनर्संरचना पैकेज में सहभागी बैंक और वित्तीय संस्थाओं को भी पैकेज में उनके निवेश की सीमा तक और विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारण के अनुसार अनुमति दी जाती है। इस प्रयोजन के लिए अब तक लिया

- गया कोई भी बाह्य वाणिज्यिक उधार उनकी पात्रता राशि में से काट लिया/ घटा दिया जायेगा।
- सी) संरचनात्मक परियोजनाओं को पट्टे पर देने के लिए संरचनात्मक उपकरणों के आयात के वित्तपोषण हेतु बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं, प्रतिष्ठित क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाओं, आधिकारिक निर्यात ऋण एजेंसियों और अंतरराष्ट्रीय बैंकों से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा 5 वर्ष की न्यूनतम औसत परिपक्वता वाले बाह्य वाणिज्यिक उधार।
- डी) इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियां अर्थात् रिज़र्व बैंक द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियों के रूप में वर्गीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बकाया बाह्य वाणिज्यिक उधारों सहित बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति के तहत यथा परिभाषित संरचना क्षेत्र को आगे उधार देने के लिए उनकी स्वाधिकृत निधियों के 50 प्रतिशत के उपर बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने के लिए निम्नलिखित शर्तों के पालन के अधीन अनुमति दी गयी है: i) गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के 12 फरवरी 2010 के परिपत्र डीएनबीएस.पीडी.सीसीसं.168/03.02.089/2009-10 में निर्धारित मानदंडों का पालन करना ii) मुद्रा जोखिम का पूर्ण बचाव। पदनामित प्राधिकृत व्यापारी को बाह्य वाणिज्यिक उधार आवेदन प्रमाणित करते समय मौजूदा मानदंडों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए। ऐसे प्रस्ताव भारतीय रिज़र्व बैंक को अग्रसारित करते समय नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंकों को उनके लीवरेज अनुपात (leverage ratio) (अर्थात् बाह्य देयाताएं/स्वाधिकृत निधियाँ) को प्रमाणित करना चाहिए।
- ई) निम्नलिखित न्यूनतम मानदंडों को पूरा करनेवाली आवास वित्त कंपनियों द्वारा विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड : (i) पिछले तीन वर्षों के दौरान वित्तीय बिचौलिए की न्यूनतम निवल मालियत 500 करोड़ रुपए से कम नहीं होनी चाहिए, (ii) मुंबई शेयर बाज़ार अथवा राष्ट्रीय शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध हो, (iii) विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड का न्यूनतम आकार 100 मिलियन अमरीकी डॉलर हो, (iv) आवेदक निधियों के उपयोग का प्रयोजन/ योजना प्रस्तुत करें।
- एफ) विशेष प्रयोजन के माध्यम अथवा विशेष रूप से संरचनात्मक कंपनियों /परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु संस्थापित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित कोई अन्य संस्था वित्तीय संस्था मानी जायेगी और ऐसी संस्थाओं द्वारा बाह्य वाणिज्यिक उधार अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत माना जायेगा।
- जी) निम्नलिखित मानदंड पूरा करनेवाली विनिर्माण कार्य में लगी बहुराज्य सहकारी समिति जो कि i) वित्तीय रूप से शोधक्षम हैं और ii) और अपना लेखापरीक्षित अद्यतन तुलनपत्र प्रस्तुत करनेवाली सहकारी समिति है।
- एच) विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासक विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति में यथा परिभाषित संरचनात्मक सुविधाओं, जैसे (i) ऊर्जा, (ii) दूरसंचार, (iii) रेल, (iv) पुलों सहित रास्ते,(v)बंदरगाह और हवाई अड्डा, (vi) औद्योगिक पार्क (vii) शहरी मूलभूत संरचना (जल आपूर्ति,स्वच्छता एवं जल-मल निकासी परियोजना और (viii) खनन, परिष्करण और अन्वेषण और (ix) कृषि और अनुषंगी उत्पाद, समुद्री उत्पादों और मांस के परिरक्षण अथवा स्टोरेज के लिए कृषि स्तर पर प्री-कुलिंग सहित कोल्ड स्टोरेज अथवा शीत गृह सुविधा, प्रदान करने के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार ले सकते हैं।
- आई) राष्ट्रीय विनिर्माण निवेश जोन (NMIZ) विकासक विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर, मौजूदा बाह्य

वाणिज्यिक उधार नीति में यथा परिभाषित संरचनात्मक सुविधाओं, जैसे (i) ऊर्जा, (ii) दूरसंचार, (iii) रेल, (iv) पुलों सहित रास्ते, (v) बंदरगाह और हवाई अड्डा, (vi) औद्योगिक पार्क (vii) शहरी मूलभूत संरचना (जल आपूर्ति, स्वच्छता एवं जल-मल निकासी परियोजना और (viii) खनन, परिष्करण और अन्वेषण और (ix) कृषि और अनुषंगी उत्पाद, समुद्री उत्पादों और मांस के परिरक्षण अथवा स्टोरेज के लिए कृषि स्तर पर प्री-कुलिंग सहित कोल्ड स्टोरेज अथवा शीत गृह सुविधा, प्रदान करने के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार ले सकते हैं।

- जे) सेवा क्षेत्र के कार्पोरेट यथा होटल, अस्पताल तथा सॉफ्टवेयर क्षेत्र की कंपनियों से भिन्न पात्र उधारकर्ता स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत प्रति वित्तीय वर्ष 750 मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य से अधिक के बाह्य वाणिज्यिक उधार ले सकते हैं।
- के) सेवा क्षेत्र के कार्पोरेट यथा होटल, अस्पताल तथा सॉफ्टवेयर क्षेत्र की कंपनियां प्रति वित्तीय वर्ष 200 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक के बाह्य वाणिज्यिक उधार ले सकती हैं।
- एल) होटलों, अस्पतालों और साफ्टवेयर क्षेत्र के अलावा सेवा-क्षेत्र से भिन्न इकाइयों को भी पात्र उधारकर्ता माना जा सकता है, यदि ऋण विदेशी ईक्विटी धारकों से प्राप्त किया जाता है। इससे प्रशिक्षण संस्थाओं, अनुसंधान और विकास, विविध सेवा-क्षेत्र की कंपनियों, आदि को उधार लेने में सुविधा होगी।
- एम) मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति का उल्लंघन करने वाली और भारतीय रिज़र्व बैंक और / अथवा प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जिनकी जांच की जा रही है, ऐसी कंपनियों को अनुमोदन मार्ग के तहत ही बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की अनुमति है।
- एन) पैराग्राफ (ए)(iii) में उल्लिखित स्वतः अनुमोदित मार्ग सीमाओं और परिपक्वता अवधि के दायरे में न आने वाले मामले।

ii) मान्यता प्राप्त उधारदाता

- (ए) उधारकर्ता अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त स्रोतों, जैसे (i) अंतर्राष्ट्रीय बैंकों, (ii) अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों, (iii) बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं (जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्त कंपनी, एशियाई विकास बैंक, सीडीसी, आदि),/क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाओं और सरकारी स्वामित्ववाली विकास वित्तीय संस्थाओं (iv) निर्यात ऋण एजेंसियां, (v) उपकरणों के आपूर्तिकर्ता, (vi) विदेशी सहयोगी और (vii) विदेशी ईक्विटी धारकों (पूर्ववर्ती विदेशी कंपनी निकायों से इतर) से बाह्य वाणिज्यिक उधार ले सकते हैं।
- (बी) अनुमोदित मार्ग के तहत 'मान्यताप्राप्त उधारदाता' के रूप में पात्र समझे जाने के लिये 'विदेशी ईक्विटी धारक' की उधारकर्ता कंपनी में चुकता (पेड) ईक्विटी की न्यूनतम धारिता नीचे दिये गये विनिर्देशानुसार होनी चाहिए:

(i) 5 मिलियन अमरीकी डॉलर तक बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए – उधारदाता द्वारा

न्यूनतम 25 प्रतिशत चुकता ईक्विटी का प्रत्यक्ष/सीधे धारण,

i) 5 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए – उधारदाता द्वारा न्यूनतम 25 प्रतिशत चुकता ईक्विटी का प्रत्यक्ष/सीधे धारण तथा ऋण-ईक्विटी अनुपात 7:1 से अधिक न हो।

(सी) अप्रत्यक्ष ईक्विटी धारकों से बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने पर विचार किया जा सकता है बशर्ते उधारदाता भारतीय कंपनी में अप्रत्यक्ष ईक्विटी के कम से कम 51% का धारक हो;

(डी) ग्रुप कंपनी से भी बाह्य वाणिज्यिक उधार की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते उधारकर्ता और विदेशी उधारदाता एक ही मूल/पितृ कंपनी की सहायक कंपनियाँ हों।

चुकता पूंजी के अलावा, नवीनतम लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार मुक्त आरक्षित निधि (विदेशी मुद्रा में प्राप्त शेयर प्रीमियम सहित) के आकलन हेतु विदेशी ईक्विटी धारक की ईक्विटी की गणना के लिए भी इसे हिसाब में लिया जाएगा। जहाँ उधार लेने वाली कंपनी में एक से अधिक विदेशी ईक्विटी धारक हैं, वहाँ संबंधित उधारदाता(ओं) द्वारा विदेशी मुद्रा में लाए गए शेयर प्रीमियम के अंश ही अनुमत बाह्य वाणिज्यिक उधार राशि की गणना के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार देयता-ईक्विटी अनुपात हेतु शामिल किए जाएंगे।

बाह्य वाणिज्यिक उधार देयता की गणना के लिए न केवल प्रस्तावित उधार को हिसाब में लिया जाएगा बल्कि उसी विदेशी ईक्विटी धारक उधारदाता से लिए गए बाह्य वाणिज्यिक उधार की बकाया राशि भी शामिल की जाएगी।

विदेशी ईक्विटी उधारदाता से बाह्य वाणिज्यिक उधार की बकाया रकम (प्रस्तावित बाह्य वाणिज्यिक उधार की राशि सहित) उधारदाता की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से ईक्विटी धारण के 7 गुने से अधिक न हो (ग्रुप कंपनी के मामले में एक ही मूल/पितृ कंपनी द्वारा धारण की गई ईक्विटी शामिल की जाएगी)।

iii) राशि और परिपक्वता अवधि

सेवा क्षेत्र के कार्पोरेट यथा होटल, अस्पताल तथा सॉफ्टवेयर क्षेत्र की कंपनियों से भिन्न पात्र उधारकर्ता स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत लिए जाने वाले प्रति वित्तीय वर्ष 750 मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य से अधिक के बाह्य वाणिज्यिक उधार अनुमोदन मार्ग से ले सकते हैं। सेवा क्षेत्र के कार्पोरेट यथा होटल, अस्पताल तथा सॉफ्टवेयर क्षेत्र की कंपनियों को अनुमत अंतिम उपयोग के लिए विदेशी मुद्रा और/या रुपया पूंजी व्यय संबंधी अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए एक वित्तीय वर्ष में 200 मिलियन अमरीकी डॉलर या उसके समतुल्य से अधिक के बाह्य वाणिज्यिक उधार अनुमोदन मार्ग से लेने की अनुमति मिल सकती है। बाह्य वाणिज्यिक उधार के तहत ली गयी राशि का उपयोग भूमि के अर्जन के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी मौजूदा दिशानिर्देशों में यथा परिभाषित 'इंफ्रास्ट्रक्चर' क्षेत्र की भारतीय कंपनियों को एक बिलियन अमरीकी डॉलर की वार्षिक सीमा, (जो आगे समीक्षाधीन है) के तहत रेन्मिन्बी (आरएमबी) में

बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की अनुमति दी जाए। औसत परिपक्वता अवधि की गणना का उदाहरण अनुबंध VI में दिया गया है।

iv) समग्र लागत सीमाएं

समग्र लागत सीमा में ब्याज दर, विदेशी मुद्रा में वायदा फीस के सिवाय और अन्य खर्चें, समयपूर्व चुकौती फीस और भारतीय रुपए में देय फीस शामिल हैं। कर भुगतान के लिए भारतीय रुपये में राशि रोक रखने को समग्र लागत की गणना में शामिल नहीं किया जाता है।

बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए समग्र लागत सीमा समय-समय पर परिशोधित की जाती है। निम्नलिखित समग्र लागत सीमा 30 सितंबर 2012 तक लागू और तदुपरांत समीक्षा के अधीन है:

औसत परिपक्वता अवधि	छः माह तक के लंदन अंतर-बैंक प्रस्तावित दर* से ऊपर समग्र लागत सीमा
तीन वर्ष और पाँच वर्ष तक	350 आधार बिंदु
पाँच वर्ष से अधिक	500 आधार बिंदु

*उधार की संबंधित करेंसी अथवा लागू बेंचमार्क के लिए।

नियत दर कर्जों के मामले में, स्वैप लागत और मार्जिन, अस्थिर दर और लागू मार्जिन के समतुल्य होगी।

v) अंतिम उपयोग

(ए) बाह्य वाणिज्यिक उधार की उगाही, भारत में केवल स्थावर संपदा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, जिसमें लघु और मध्यम दर्जे के उद्यम शामिल हैं और संरचनात्मक क्षेत्र में निवेश के लिए [जैसे, पूंजी माल का आयात, (विदेश व्यापार नीति में डीजीएफटी द्वारा यथावर्गीकृत) नयी परियोजनाओं का कार्यान्वयन, मौजूदा उत्पादन इकाइयों का आधुनिकीकरण/विस्तार], की जा सकती है। बाह्य वाणिज्यिक उधार के प्रयोजन के लिए संरचनात्मक क्षेत्र की परिभाषा के दायरे में (i) ऊर्जा, (ii) दूरसंचार, (iii) रेलवे, (iv) पुल समेत सड़क, (v) समुद्री पोर्ट तथा एयरपोर्ट, (vi) औद्योगिक पार्क, (vii) शहरी ढांचे (जल आपूर्ति, स्वच्छता एवं जलमल निकासी परियोजना) (viii) खनन, परिष्करण और अन्वेषण और (ix) कृषि और अनुषंगी उत्पाद, समुद्री उत्पादों और मांस के परीक्षण अथवा स्टोरेज के लिए कृषि स्तर पर प्री-कुलिंग सहित कोल्ड स्टोरेज अथवा शीत गृह सुविधा, आदि आते हैं।

(बी) विदेश स्थित संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में भारतीय प्रत्यक्ष निवेश के संबंध में वर्तमान दिशानिर्देशों के अधीन संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश।

(सी) इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की भारतीय कंपनियों के लिए आईडीसी को, जहाँ "इंफ्रास्ट्रक्चर" का अर्थ बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी मौजूदा दिशानिर्देशों में परिभाषित है, ऐसी कंपनियों के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार का उपयोग आईडीसी की अदायगी के लिए होगा बशर्ते आईडीसी का पूंजीकरण हो और आईडीसी परियोजना लागत का हिस्सा हो

(डी) दूर संचार क्षेत्र में, स्पेक्ट्रम एलोकेशन के लिए सफल बोली लगानेवाले, पात्र उधारकर्ताओं द्वारा, प्रारंभिक रूप से, भुगतान रुपया स्रोतों से किया जाएगा जिसे अनुमोदन मार्ग के तहत, दीर्घावधि बाह्य वाणिज्यिक उधार से, निम्नलिखित शर्तों पर, पुनर्वित्तपोषित किया जा सकता है:

(i) सरकार को अंतिम किस्त के भुगतान की तारीख से 12 महीनों के भीतर बाह्य वाणिज्यिक उधार लिया जाना चाहिए;

(ii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक ने निधियों के अंतिम उपयोग पर निगरानी रखनी चाहिए;

(iii) भारत में स्थित बैंकों को किसी भी रूप में गारंटी देने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी; और

(iv) पात्र उधारकर्ता, मान्यताप्राप्त उधारदाता, समग्र लागत सीमा, औसत परिपक्वता अवधि जैसी बाह्य वाणिज्यिक उधार की सभी अन्य शर्तों का पालन किया जाना चाहिए।

(ई) बाह्य वाणिज्यिक उधार की आय का उपयोग सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों के सरकार के विनिवेश कार्यक्रम के तहत विनिवेश प्रक्रिया में शेयरों के प्रथम चरण में अधिग्रहण और जनता को अनिवार्यतः दूसरे चरण प्रस्ताव में किया जा सकता है।

(एफ) घरेलू बैंकिंग प्रणाली से लिए गए रुपया ऋण/ऋणों की चुकौती (का पुनर्वित्तपोषण)

बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी वर्तमान दिशानिर्देशों में यथा परिभाषित 'इंफ्रास्ट्रक्चर' क्षेत्र के तहत आनेवाली भारतीय कंपनियों (ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों को छोड़कर) द्वारा, लिये गये नये बाह्य वाणिज्यिक उधार का 25 प्रतिशत अंश घरेलू बैंकिंग प्रणाली से लिए गए रुपया ऋण/ऋणों के पुनर्वित्त के लिए उपयोग करने की अनुमति, निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत प्रदान की जाती है :

(i) लिये जाने वाले प्रस्तावित नये बाह्य वाणिज्यिक उधार का कम से कम 75% भाग 'नई इंफ्रास्ट्रक्चर' परियोजना/परियोजनाओं' के पूंजी व्यय के लिए उपयोग किया जाना चाहिए;

(ii) शेष 25% राशि का उपयोग उन इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना/ परियोजनाओं के 'पूंजी व्यय' के लिए, लिए गए रुपया ऋण की अदायगी के पुनर्वित्त के लिए उपयोग किया जा सकेगा जो पहले से पूर्ण हो चुकी है; और

(iii) पुनर्वित्त सुविधा का उपयोग केवल उन रुपया ऋणों के लिए किया जाएगा जो संबंधित वित्तीय

सहायता देनेवाले बैंक की बहियों में बकाया दर्ज हैं।

उर्जा क्षेत्र की कंपनियों द्वारा लिये गये नये बाह्य वाणिज्यिक उधार का 40 प्रतिशत अंश घरेलू बैंकिंग प्रणाली से लिए गए रुपया ऋण/ऋणों के पुनर्वित्त के लिए उपयोग करने की अनुमति, इस शर्त के अंतर्गत प्रदान की जाती है कि लिये जानेवाले प्रस्तावित नये बाह्य वाणिज्यिक उधार का कम से कम 60% भाग इं-फ्रास्ट्रक्चर परियोजना/परियोजनाओं के नए पूंजी व्यय के लिए उपयोग किया जाना चाहिए।

(जी) तात्कालिक वित्त (ब्रिज फाइनेंस)

बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी वर्तमान दिशानिर्देशों में यथा परिभाषित 'इंफ्रास्ट्रक्चर' के तहत आनेवाले इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की भारतीय कंपनियों को 'तात्कालिक वित्तीय सहायता'/ 'ब्रिज लोन' के स्वरूप के अल्पावधि ऋण लेकर (क्रेता/आपूर्तिकर्ता की साख/क्रेडिट सहित) पूंजीगत वस्तुओं का आयात करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जाती है:

- (i) तात्कालिक वित्त (ब्रिज लोन), दीर्घावधि बाह्य वाणिज्यिक उधार से, प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) दीर्घावधि बाह्य वाणिज्यिक उधार, मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी मानदंडों के अनुरूप होंगे; और
- (iii) दीर्घावधि बाह्य वाणिज्यिक उधार से तात्कालिक वित्त के पुनर्स्थापन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

(एच) नागरिक विमानन क्षेत्र के लिए कार्यशील पूंजी हेतु बाह्य वाणिज्यिक उधार

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत और यात्री परिवहन (transportation) के लिए नागरिक विमानन महानिदेशालय द्वारा जारी अनुसूचित परिचालक के परमिट-लाइसेंस की धारक, एयरलाइन कंपनियाँ, कार्यशील पूंजी के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने के लिए पात्र हैं। एयरलाइन कंपनियों के नकदी प्रवाह, विदेशी मुद्रा के अर्जन और लिए गए ऋण की चुकौती करने की क्षमता के आधार पर, बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की अनुमति दी जाएगी और तीन वर्ष की न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि वाले बाह्य वाणिज्यिक उधार लिए जा सकते हैं।

संपूर्ण नागरिक विमानन क्षेत्र के लिए, समग्र बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की उच्चतम सीमा एक बिलियन अमरीकी डालर होगी और किसी एक विमानन कंपनी को, 300 मिलियन अमरीकी डालर तक का अधिकतम, बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की अनुमति दी जा सकती है। इस सीमा का उपयोग, कार्यशील

पूंजी के साथ-साथ, घरेलू बैंकिंग प्रणाली से कार्यशील पूंजी हेतु लिए गए रुपया ऋण (ऋणों) की बकाया राशि के पुनर्वित्त के लिए भी किया जा सकता है। उल्लेखानुसार कार्यशील पूंजी/कार्यशील पूंजी के पुनर्वित्त हेतु लिए गए बाह्य वाणिज्यिक उधार को रोल ओवर करने की अनुमति नहीं होगी। बाह्य वाणिज्यिक उधार की चुकौती के लिए, ऐसी कंपनियां विदेशी मुद्रा हेतु भारतीय बाजार का इस्तेमाल न करें तथा इस बाबत देयता का निपटान उधार लेने वाली कंपनी के द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जन से किया जाए।

vi) रुपया ऋणों की अदायगी और/अथवा भारतीय कंपनियों के लिए विदेशी मुद्रा के अर्जन के साथ नए रुपया पूंजी व्यय

घरेलू बैंकिंग प्रणाली से पूंजी व्यय हेतु लिए गए रुपया ऋणों की अदायगी और/अथवा नए रुपया पूंजी व्यय के लिए विनिर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की भारतीय कंपनियां बाह्य वाणिज्यिक उधार ले सकती हैं, बशर्ते वे विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान लगातार विदेशी मुद्रा की अर्जक रही हों और ऐसी कंपनियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक की चूककर्ता सूची/सतर्कता सूची में न हों। ऐसे बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए समग्र उच्चतम सीमा 10 (दस) बिलियन अमरीकी डालर है और किसी एक कंपनी द्वारा विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान वसूल किए गए औसत वार्षिक निर्यातगत अर्जन के 50% की सीमा तक अधिकतम बाह्य वाणिज्यिक उधार लिया जा सकता है। बाह्य वाणिज्यिक उधार की अदायगी के लिए विदेशी मुद्रा भारतीय बाजारों से न ली जाए और बाह्य वाणिज्यिक उधार से उत्पन्न देयता की अदायगी उधार लेने वाली कंपनी द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा से ही की जाए।

अंतिम उपयोग जिनकी अनुमत नहीं

VII) उपर्युक्त मदों में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न, उधार राशि का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों सहित किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा, अर्थात:

- (ए) पैरा I (बी) (i) (ए), (बी) और पैरा (डी) के अंतर्गत पात्र इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियों (आइएफसीएस), बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त किसी कंपनी (या उसके अंश) द्वारा भारत में आगे उधार देने अथवा पूंजी बाजार में निवेश करने अथवा कंपनी (उसके किसी हिस्से) का अधिग्रहण करने के लिए अंतिम उपयोग अनुमत नहीं है।
- (बी) रियल इस्टेट के लिए।
- (सी) कार्यशील पूंजी, (उपर्युक्त पैरा I (बी) (v) (एच) में दर्शाए गए को छोड़कर) तथा सामान्य कारपोरेट उद्देश्यों और वर्तमान रुपया ऋणों की अदायगी (उपर्युक्त पैरा I (बी) (v) (एफ) में दर्शाए गए को छोड़कर) के लिए अंतिम उपयोग अनुमत नहीं है।

viii) गारंटी

बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बाह्य वाणिज्यिक उधार से संबंधित गारंटी, आपाती साखपत्र, वचन पत्र अथवा चुकौती आश्वासन पत्र जारी करने की सामान्यतः अनुमति नहीं है। लघु और मध्यम

दर्जे के उद्यमों के मामले में बैंकों, वित्तीय संस्थाओं द्वारा बाह्य वाणिज्यिक उधार से संबंधित गारंटी/ आपाती साखपत्र अथवा चुकौती आश्वासन पत्र उपलब्ध करने के आवेदन पर विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जाएगा।

भारतीय कपड़ा(टेक्सटाइल) उद्योग में क्षमता विस्तार और तकनीक उन्नयन को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से कपड़ा-उद्योग इकाई के आधुनिकीकरण अथवा विस्तार हेतु टेक्सटाइल कंपनियों द्वारा बाह्य वाणिज्यिक उधार के संबंध में बैंकों द्वारा गारंटी , आपाती साखपत्र , वचन पत्र अथवा चुकौती वचन पत्र को जारी करने संबंध में विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत विचार किया जाएगा।

ix) ज़मानत

उधारदाता/ आपूर्तिकर्ता को दी जाने वाली ज़मानत का विकल्प उधारकर्ता को ही चुनना है। तथापि, समुद्रपारीय उधारदाता के पक्ष में अचल परिसंपत्तियों और वित्तीय प्रतिभूतियों, जैसे शेयर पर प्रभार का सृजन, समय-समय पर यथासंशोधित, क्रमशः 03 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.21/आरबी-2000 के विनियम 8 और 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.20/आरबी-2000 के विनियम 3 के अधीन है। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंकों को पूर्वोक्त पैरा 1 (ए) (viii) में दर्शाये गये अनुसार फेमा के तहत आवश्यक 'आपत्ति नहीं' जारी करने के अधिकार दिये गये हैं।

x) बाह्य वाणिज्यिक उधार की आय को विदेशों में रखना

बाह्य वाणिज्यिक उधार की आय को या तो विदेश में रखने अथवा अनुमत अंतिम उपयोग के लिए उपयोग होने तक इन निधियों को भारत में भेजने के लिए उधारकर्ता को अनुमति है।

भारत में रुपया व्यय जैसे, पूंजीगत माल को स्थानीय स्तर पर जुटाने, स्वयं सहायता समूहों अथवा माइक्रो क्रेडिट के लिए ऋण देने, स्पैक्ट्रम आबंटन के भुगतान करने, आदि के लिए विदेश में उठायी/ली गयी बाह्य वाणिज्यिक उधारों की प्राप्तियां भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी। बैंकों के पास रखे रुपया खाते में जमा करने के लिए तत्काल लायी जाएं। दूसरे शब्दों में, केवल विदेशी मुद्रा व्यय के लिए रखी गयी बाह्य वाणिज्यिक उधारों की प्राप्तियां उपयोग करने तक विदेश में रोक रखी जा सकती हैं। तथापि, इन रुपया निधियों का अब तक की तरह पूँजी बाजारों, स्थावर संपदा में निवेश करने अथवा इंटर-कार्पोरेट उधार के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।

विदेश में रखे गए बाह्य वाणिज्यिक उधार की प्राप्तियों का निम्नलिखित चल परिसंपत्तियों में निवेश किया जा सकता है (ए) स्टैंडर्ड एण्ड पुअर/ फिट्स आइबीसीए द्वारा कम से कम AA(-) अथवा मूडीज़ द्वारा कम से कम Aa3 रेटेड, बैंक द्वारा प्रस्तावित जमाओं अथवा जमा प्रमाणपत्रों अथवा अन्य लिखत; (बी) उपर्युक्त के अनुसार विनिर्दिष्ट रेटिंग वाले एक वर्ष की परिपक्वता अवधिवाले खज़ाना बिल और मौद्रिक लिखत, और (सी) समुद्रपारीय शाखा/विदेश में भारतीय बैंकों की सहयोगी संस्था के पास जमा। निधियों का इस तरह निवेश किया जाए कि आवश्यकता पड़ने पर भारत में उधारकर्ता की आवश्यकता पर उसका परिसमापन किया जा सके।

यह सुनिश्चित करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व संबंधित उधारकर्ता का है कि भारत में रुपया व्यय करने हेतु लिए गए बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) की प्राप्तियाँ भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंकों के पास रखे गये उनके रुपया खाते में जमा करने के लिए भारत को प्रत्यावर्तित की जाती हैं और बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) लेने संबंधी दिशानिर्देशों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा तथा ऐसा करना विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत दण्डात्मक कार्रवाई को आमंत्रित कर सकता है। नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा यह

सुनिश्चित किया जाना भी अपेक्षित है कि रुपया व्यय के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) की प्राप्तियाँ प्राप्त होने पर (drawdown) तत्काल भारत को प्रत्यावर्तित की जाती हैं।

xi) समयपूर्व भुगतान

(ए) प्राधिकृत व्यापारी 500 मिलियन अमरीकी डॉलर तक बाह्य वाणिज्यिक उधार के समयपूर्व भुगतान की अनुमति भारतीय रिज़र्व बैंक के बगैर पूर्वानुमोदन के दे सकते हैं बशर्ते ऋण पर लागू न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि का अनुपालन किया जाता है।

(बी) रिज़र्व बैंक अनुमोदन मार्ग के तहत 500 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक के बाह्य वाणिज्यिक उधार के समयपूर्व भुगतान पर विचार करेगा।

xii) मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार का पुनर्वितीयन/ऋण की अवधि का पुनर्निर्धारण

मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार का पुनर्वितीयन उच्चतर समग्र लागत पर नये बाह्य वाणिज्यिक उधार उगाहते हुए किया जा सकता है, बशर्ते बड़ी हुई समग्र लागत मौजूदा दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट समग्र उच्चतम लागत से अधिक न हो।

मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार का पुनर्निर्धारण हो सकता है बशर्ते बड़ी हुई समग्र लागत मौजूदा दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट समग्र उच्चतम लागत से अधिक न हो।

xiii) कर्ज का भुगतान

सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, समय-समय पर, जारी बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी दिशानिर्देशों के अनुरूप नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक को मूल धन, ब्याज तथा अन्य प्रभारों की किस्तों के प्रेषण की सामान्य अनुमति है।

xiv) क्रियाविधि

आवेदक आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ फार्म ईसीबी में नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक के माध्यम से प्रभारी मुख्य महप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, बाह्य वाणिज्यिक उधार प्रभाग, मुंबई 400 001 को आवेदनपत्र प्रस्तुत करें।

xv) विदेशी मुद्रा विनिमय योग्य बांड

विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) से वह बांड अभिप्रेत है जो कि विदेशी करेंसी में अभिव्यक्त होता हो, जिसकी मूल तथा ब्याज दोनों की राशि विदेशी करेंसी में देय हों, जो निर्गम कंपनी द्वारा जारी किया गया हो और भारत के बाहर रहनेवाले ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा में अभिदत्त तथा दूसरी कंपनी जिसे ऑफर्ड कंपनी कहा जाता है, जो या तो पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से अथवा कर्ज लिखतों से संबद्ध

किसी ईक्विटी संबंधित वारंट के आधार पर परिवर्तनीय हो । विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड मुक्त रूप में /आसानी से परिवर्तनीय किसी विदेशी मुद्रा के मूल्यवर्ग में हो सकते हैं।

पात्र जारीकर्ता: जारीकर्ता कंपनी, ऑफर्ड कंपनी के प्रवर्तक समूह की होगी और विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) जारी करते समय प्रदत्त/ दिये जानेवाले ईक्विटी शेयर उसके पास रहेंगे।

ऑफर्ड कंपनी: ऑफर्ड कंपनी एक सूचीबद्ध कंपनी होगी जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पाने के लिए पात्र क्षेत्र में कार्यरत है तथा विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) जारी करने अथवा बाह्य वाणिज्यिक उधार का लाभ उठाने हेतु पात्र होगी ।

विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) जारी करने हेतु अपात्र कंपनियां :

कोई कंपनी, जिस पर प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा प्रतिभूति बाजार में जाने पर रोक लगायी गई है या ऐसी भारतीय कंपनी, जो भारतीय प्रतिभूति बाजार से निधियां जुटाने के लिए पात्र नहीं है, वह विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) जारी करने हेतु पात्र नहीं होगी ।

पात्र अभिदाता: विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) जारी करते समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति तथा सेक्टरल कैप संबंधी निर्देशों का पालन करनेवाली कंपनियां विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) में अभिदान कर सकती हैं । प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के तहत यथावश्यक विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की पूर्व अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिए ।

कंपनियां, जो विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) में अभिदान करने की पात्र नहीं हैं :

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा प्रतिभूतियों की खरीद, बिक्री तथा अन्य किसी प्रकार से उनका कारोबार करने से प्रतिबंधित कंपनियां विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) में अभिदान करने की पात्र नहीं होंगी ।

विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) से आगत राशि (proceeds) का अंतिम उपयोग:

निर्गम कंपनी :

- (i) संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में समुद्रपारीय निवेश पर मौजूदा दिशा-निर्देशों के तहत, विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) से प्राप्त राशि, समुद्रपारीय निर्गम कंपनी द्वारा, विदेश में संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं सहित प्रत्यक्ष निवेश के माध्यम से, निवेश की जा सकती है ।
- (ii) निर्गम कंपनी द्वारा विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) से प्राप्त राशि प्रवर्तक समूह की कंपनियों में निवेश की जा सकती है ।

प्रवर्तक समूह की कंपनियां : विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) की आगत (proceeds) आय से निवेश प्राप्त करनेवाली प्रवर्तक समूह की कंपनियां, बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति के तहत अंतिम उपयोग के अनुसार राशि का उपयोग कर सकती हैं।

अंतिम उपयोग अनुमत नहीं : ऐसे निवेश प्राप्त करनेवाली प्रवर्तक समूह की कंपनियों को भारत में पूंजी बाजार अथवा स्थावर सम्पत्ति में निवेश के लिए उक्त आय का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।

समग्र लागत : विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) पर देय ब्याज दर तथा विदेशी मुद्रा में किये गये निर्गम खर्च, बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) नीति के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित समग्र लागत सीमा के भीतर होंगे।

विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) पर मूल्य अंकित करना : विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) जारी करने के समय प्रस्तुत सूचीबद्ध ईक्विटी शेयरों का विनिमय मूल्य निम्नलिखित दो उच्चतर स्थितियों से कम नहीं होना चाहिए :

- (i) संदर्भित तारीख से पूर्ववर्ती छः महीनों के दौरान शेयर बाजार में बोली लगानेवाली कंपनी के शेयरों के उच्च और निम्न अंतिम मूल्य का साप्ताहिक औसत; और
- (ii) संदर्भित तारीख से पूर्ववर्ती दो सप्ताहों के दौरान शेयर बाजार में बोली लगानेवाली कंपनी के शेयरों के उच्च और निम्न अंतिम मूल्य का साप्ताहिक औसत।

औसत परिपक्वता: विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) की परिपक्वता अवधि कम से कम पांच वर्ष हो। विनिमय का विकल्प, शोधन तारीख से पहले, कभी भी दिया जा सकता है। विनिमय का विकल्प देते समय विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) के धारक को दिये जानेवाले शेयर की सुपुर्दगी लेनी होगी। विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) के लिए नकदी भुगतान अनुमत नहीं होगा।

विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) से आगत (proceeds) राशि को विदेशों में रखना : विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) से प्राप्त होनेवाली आय बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति के तहत निर्गम कंपनियों/प्रवर्तक समूह कंपनियों द्वारा विदेशों में रखी जायेगी/नियोजित कर दी जाएगी अथवा अनुमत अंतिम उपयोग करने तक भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंकों में उधारकर्ता रुपया खाते में जमा करने के लिए भारत में प्रत्यावर्तित की जाएगी। यह निर्गम कंपनियों की जिम्मेदारी होगी कि वे यह सुनिश्चित करें कि विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड की आय बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति के तहत निर्धारित केवल अनुमत अंतिम उपयोग के लिए प्रवर्तक समूह की कंपनी द्वारा उपयोग में लायी जाती है। निर्गम कंपनी, निर्गम कंपनी/प्रवर्तक समूह कंपनियों द्वारा आय के अंतिम उपयोग का, नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा विधिवत् प्रमाणित ऑडिट ट्रेल भी भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करें।

परिचालनगत क्रियाविधि- विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) जारी करने के लिए अनुमोदित मार्ग के तहत बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अपेक्षित होगा। विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) से संबंधित सूचना देने की व्यवस्था वर्तमान बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति के

अनुसार रहेगी।

xvi) अधिकार प्रदत्त समिति

अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत आनेवाले प्रस्तावों पर विचार करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक अधिकार प्रदत्त समिति गठित की है।

II. विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों (FCCBs) का मोचन (Redemption)

विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (FCCBs), समय समय पर, यथा संशोधित 'विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड और सामान्य शेयर निर्गम (निक्षेपागार रसीद व्यवस्था से) योजना, 1993' तथा 7 जुलाई 2004 की फेमा. अधिसूचना सं.120/आरबी-2004 द्वारा विनियमित होते हैं। विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों (FCCBs) का निर्गम अगस्त 2005 में बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी दिशानिर्देशों के तहत लाया गया तथा विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी विनियमों के अधीन हैं।

विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों (FCCBs) के मोचन संबंधी दायित्वों की पूर्ति में कठिनाइयों का सामना क रही भारतीय कंपनियों को पुनर्वित्त सुविधा (की खिडकी) उपलब्ध कराने की आवश्यकता के मद्देनज़र, नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंकों को स्वचालित मार्ग के तहत भारतीय कंपनियों को विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों (FCCBs) की बकाया/ शेष रही राशि के लिए पुनर्वित्त सुविधा प्राप्त करने की अनुमति, निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन के तहत, दी गयी है:-

- i. बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने संबंधी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार नए वाणिज्यिक उधार/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों से राशि विनिर्दिष्ट औसत परिपक्वता अवधि के लिए लागू समग्र लागत सीमा पर ली जा सकेगी;
- ii. नए वाणिज्यिक उधार/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों से उगाही जाने वाली राशि शेष विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों की परिपक्वता पर मोचनीय राशि से अधिक नहीं होगी;
- iii. बकाया विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों की परिपक्वता की तारीख से छह माह पूर्व, नए वाणिज्यिक उधार/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों से राशि, उगाही नहीं की जा सकेगी;
- iv. भारतीय रिज़र्व बैंक से ऋण पंजीकरण संख्या (LRN) लेते समय फार्म 83 में बाह्य वाणिज्यिक उधार/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों का प्रयोजन स्पष्ट तौर पर "बकाया/शेष विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों (FCCBs) के मोचन हेतु" अंकित करना होगा;
- v. पदनामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक ऐसी निधियों के अंतिम उपयोग की निगरानी करेगा;
- vi. वर्तमान विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों (FCCBs) के मोचन के लिए यदि बाह्य वाणिज्यिक उधार/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों की राशि 500 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक होगी तो इन पर अनुमोदन मार्ग के तहत विचार किया जाएगा; और
- vii. वर्तमान बकाया विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों (FCCBs) के पुनर्वित्त हेतु लिए गए बाह्य वाणिज्यिक उधार/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों को मौजूदा मानदंडों के तहत स्वचालित मार्ग के

अंतर्गत उपलब्ध 750 मिलियन अमरीकी डॉलर की सीमा के भाग के रूप में माना जाएगा।

विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों की पुनर्संरचना में मौजूदा परिवर्तन कीमत में किसी प्रकार के बदलाव की अपेक्षा होने पर उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी। तथापि, मौजूदा परिवर्तक कीमत संबंधी प्रावधान में बिना किसी बदलाव के, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों की पुनर्संरचना संबंधी मामलों पर, प्रस्ताव की गुणवत्ता के आधार पर, अनुमोदन मार्ग के तहत विचार किया जा सकता है।

रिपोर्ट करने की व्यवस्था और जानकारी का प्रसारण

III.

(i) रिपोर्ट करने की व्यवस्था

- (ए) कार्यविधि को सरल बनाने के दृष्टिकोण से ऋण करार की प्रतिलिपि प्रस्तुत करना बंद कर दिया गया है।
- (बी) ऋण पंजीयन संख्या के आबंटन के लिए उधारकर्ताओं से यह अपेक्षित है कि वे कंपनी सचिव अथवा सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित फार्म 83 की दो प्रतियां नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक को प्रस्तुत करें। एक प्रति नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा निदेशक, भुगतान संतुलन सांख्यिकी प्रभाग, सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, मुंबई 400 051 को भेजी जाए।
- (नोट: ऋण करार की प्रतियाँ तथा विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (एफसीसीबी) के लिए प्रस्ताव दस्तावेज को फार्म 83 के साथ प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।)
- (सी) उधारकर्ता, सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक से ऋण पंजीकरण संख्या प्राप्त करने के बाद ही ऋण का आहरण कर सकते हैं।
- (डी) उधारकर्ता, ईसीबी-2 विवरणी नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा प्रमाणित करा कर मासिक आधार पर इस प्रकार भेजें कि वह सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक को संबंधित माह की समाप्ति से सात कार्य-दिवसों के भीतर मिल जाए।

[नोट : बाह्य वाणिज्यिक उधार अर्थात् ईसीबी 3-ईसीबी 6 से संबंधित सभी अन्य विवरणियां 31 जनवरी 2004 से बंद कर दी गई हैं।]

ii) सूचना प्रसारण

अधिक पारदर्शिता के लिए स्वतः अनुमोदित मार्ग और अनुमोदन मार्ग दोनों के तहत बाह्य वाणिज्यिक उधार के उधारकर्ता का नाम, राशि, प्रयोजन और उसकी परिपक्वता अवधि के संबंध में जानकारी एक

माह, जिससे यह संबंधित है, के अंतराल पर मासिक आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक की वेब-साइट पर डाली जाती है।

IV. संरचनात्मक दायित्व

दो निवासियों के बीच भारतीय रुपए में उधार लेना और देना विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के किसी भी प्रावधान को आकृष्ट नहीं करता है। यदि किसी अनिवासी द्वारा दी गयी गारंटी पर रुपया ऋण दिया जाता है, तो गारंटी लागू किये जाने और अनिवासी गारंटीकर्ता द्वारा गारंटी के अंतर्गत देयता चुकाने की अपेक्षा पडने तक विदेशी मुद्रा में कोई लेनदेन नहीं होता है। अनिवासी गारंटीकर्ता i) भारत में धारित शेष रुपयों में से भुगतान करते हुए अथवा ii) भारत को निधियां प्रेषित करते हुए अथवा iii) भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी बैंक के पास रखे गये अपने विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाते/ अनिवासी विदेशी खाते में नामे डालते हुए देयता चुका सकता है। ऐसे मामलों में, अनिवासी गारंटीकर्ता राशि की वसूली के लिए निवासी उधारकर्ता पर अपने दावे को पूरा करने के लिए दबाव डाल सकता है और यदि देयता आवक विप्रेषण द्वारा अथवा विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाते/ अनिवासी विदेशी खाते में नामे डालते हुए चुकायी जाती है तो वसूली किये जाने पर वह राशि के प्रत्यावर्तन के लिए मांग कर सकता है। तथापि, यदि बकाया रुपयों में से भुगतान करते हुए देयता चुकायी जाती है तो वसूल की गयी राशि अनिवासी गारंटीकर्ता के अनिवासी सामान्य खाते में जमा की जा सकती है।

रिज़र्व बैंक ने 26 सितंबर 2000 की अपनी अधिसूचना सं. फेमा.29/आरबी-2000 के जरिये भारत से बाहर निवासी किसी व्यक्ति, जिसने गारंटी के तहत देयता चुकायी है, को भुगतान करने के लिए मूल देनदार होने के कारण निवासी को सामान्य अनुमति प्रदान की है। तदनुसार, जहां अनिवासी द्वारा देयता भारत को विप्रेषित निधियों में से अथवा अपने विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाते/ अनिवासी विदेशी खाते में नामे डालते हुए चुकायी जाती है, वहां अदायगी राशि गारंटीकर्ता के विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाते/ अनिवासी विदेशी खाते/ अनिवासी सामान्य खाते में जमा करते हुए की जा सकता है, बशर्ते विप्रेषित/जमा की गयी राशि लागू की गयी गारंटी के लिए अनिवासी गारंटीकर्ता द्वारा अदा की गयी राशि के समतुल्य रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

पात्र अनिवासी संस्थाओं (कंपनियों) द्वारा ऋण बढ़ाने (क्रेडिट एनहान्समेंट) की सुविधा, निम्नलिखित शर्तों पर, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में कार्यरत भारतीय कंपनियों द्वारा और इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियों (आइएफसीएस), जो 12 फरवरी 2010 के परिपत्र डीएनबीएस.पीडी. सीसी सं. 168/03.02.089/2009-10 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार रिज़र्व बैंक द्वारा इस प्रकार वर्गीकृत की गयी हैं, द्वारा डिबेंचरों तथा बांडों जैसे पूंजी बाजार लिखतों के निर्गम के जरिये उगाहे गये घरेलू ऋण तक बढ़ा दी जाए:

- i) क्रेडिट एनहान्समेंट की सुविधा, बहुदेशीय/क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाओं और सरकार के स्वामित्ववाली विकास वित्तीय संस्थाओं/मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी ईक्विटी धारक(धारकों) (चुकता पूंजी की न्यूनतम 25 प्रतिशत धारिता) तथा अप्रत्यक्ष विदेशी ईक्विटी धारक (चुकता पूंजी की न्यूनतम 51%

धारिता) द्वारा प्रदान की जानी चाहिए;

- ii) अंतर्निहित ऋण लिखतों की न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि सात वर्षों की होनी चाहिए;
- iii) 7 वर्षों की औसत परिपक्वता अवधि तक इन पूंजी बाजार लिखतों के लिए पूर्वभुगतान और क्रय/विक्रय विकल्प अनुमत नहीं हैं;
- iv) क्रेडिट एनहान्समेंट के संबंध में गारंटी शुल्क और अन्य लागत, निहित मूल राशि के अधिकतम 2 प्रतिशत तक सीमित की जाएगी;
- v) क्रेडिट एनहान्समेंट लागू करने पर, यदि गारंटीकर्ता देयता चुकाता है और यदि वह पात्र अनिवासी संस्था को विदेशी मुद्रा में चुकाये जाने के लिए अनुमत है तो व्यापार ऋण/बाह्य वाणिज्यिक उधारों की संबंधित परिपक्वता अवधि हेतु लागू समग्र लागत संबंधी उच्चतम सीमा, नवीन ऋण के लिए लागू है। औसत परिपक्वता अवधि पर आधारित समग्र लागत सीमा निम्नानुसार लागू है:

लागू करने पर ऋण की औसत परिपक्वता अवधि	छ: माह तक के लंदन अंतर-बैंक प्रस्तावित दर* से ऊपर समग्र लागत सीमा
3 वर्षों तक	350 आधार बिंदु
तीन वर्ष और पाँच वर्ष तक	350 आधार बिंदु
पाँच वर्ष से अधिक	500 आधार बिंदु

*उधार की संबंधित मुद्रा अथवा लागू बेंचमार्क के लिए

- vi) चूक के मामले में और यदि ऋण भारतीय रूपयों में चुकाया जाता है तो ब्याज की लागू दर, नवीकरण की तारीख को बांडों के कूपन अथवा 5 वर्षों की भारत सरकार की प्रतिभूति का प्रचलित अनुषंगी बाजार प्रतिफल पर 250 आधार बिंदु, जो भी उच्चतर हो, होगी;
- vii) क्रेडिट एनहान्समेंट सुविधा का लाभ उठाने का प्रस्ताव रखनेवाली इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियों (आइएफसीएस) को 12 फरवरी 2010 के परिपत्र डीएनबीएस. पीडी. सीसी सं. 168/03.02.089/2009-10 में निर्धारित पात्रता मानदंडों और विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करना चाहिए और यदि नवीन ऋण विदेशी मुद्रा में पदनामित है तो इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियों (आइएफसीएस) को समग्र विदेशी मुद्रा जोखिम के लिए बचाव करना चाहिए; और
- viii) बाह्य वाणिज्यिक उधारों को लागू रिपोर्टिंग व्यवस्थाएं नवीन ऋणों के लिए लागू होगी।

V. अंतरण (टेकआउट) वित्त पोषण

वर्तमान मानदंडों के अनुसार बाह्य वाणिज्य उधार के द्वारा देशी रुपया ऋणों का पुनर्वित्तीयन अनुमत नहीं है। तथापि, संरचना क्षेत्र की विशेष वित्तीय (निधियन की) आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अंतरण वित्त पोषण की योजना लागू की गई है। तदनुसार, नयी परियोजनाओं के विकास के लिए बंदरगाह तथा हवाई अड्डे, पुलों समेत सड़कों तथा उर्जा क्षेत्र के पात्र उधारकर्ताओं द्वारा देशी बैंकों से

लिये गये रुपया ऋणों के पुनर्विचितीयन के लिए अनुमोदन मार्ग के तहत निम्नलिखित शर्तों पर बाह्य वाणिज्य उधार के जरिये अंतरण वित्त पोषण की अनुमति दी जाती है:

- i. संरचनात्मक परियोजना विकसित करनेवाली कंपनी को नियत व्यापारिक परिचालन तारीख (सीओडी) के तीन वर्षों के भीतर ऋण को एक या तो सशर्त अथवा बिना शर्त अंतरण के लिए देशी बैंकों तथा विदेशी मान्यताप्राप्त उधारदाताओं के साथ त्रिपक्षीय करार करना चाहिए। अंतरण करने की नियत तारीख करार में स्पष्ट रूप से दर्शायी जानी चाहिए।
- ii. ऋण की न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि सात वर्षों की होनी चाहिए।
- iii. संरचनात्मक परियोजना के लिए वित्त पोषण करनेवाले देशी बैंक को अंतरण वित्त पोषण से संबंधित प्रचलित विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करना चाहिए।
- iv. अंतरण करने तक विदेशी उधारदाता को देय शुल्क, यदि कोई हो, तो प्रति वर्ष 100 आधार बिंदुओं से अधिक नहीं होना चाहिए।
- v. अंतरण पर, विदेशी उधारदाता द्वारा अंतरित किये जाने के लिए सहमत अवशिष्ट ऋण बाह्य वाणिज्य उधार के रूप में माना जाएगा और ऋण किसी परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में नामित किया जाएगा तथा बाह्य वाणिज्य उधार से संबंधित सभी प्रचलित मानदंडों का पालन करना होगा।
- vi. देशी बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को अंतरण वित्तपोषण के लिए गारंटी देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- vii. देशी बैंको को अंतरण की घटना घटित हो जाने पर अपने तुलन पत्र पर कोई दायित्व लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- viii. बाह्य वाणिज्य उधार नीति के तहत निर्धारित रिपोर्टिंग व्यवस्था का पालन करना होगा।

VI. बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी दिशा-निर्देशों का अनुपालन

बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों और रिज़र्व बैंक के विनियमों/निदेशों के अनुरूप बाह्य वाणिज्यिक उधार उगाहे/उपयोग किए जाने को, यह सुनिश्चित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित उधारकर्ता की है तथा बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा तथा फेमा, 1999 ([1 फरवरी 2005 के ए.पी.\(डीआईआर सीरीज़\) परिपत्र सं.31 देखें](#)) के तहत आर्थिक दण्ड लगाया जा सकता है। नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक से भी यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि प्रमाणीकरण के समय बाह्य वाणिज्यिक उधार की उगाही/उपयोग बाह्य वाणिज्यिक उधार दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।

VII. बाह्य वाणिज्यिक उधार का ईक्विटी में परिवर्तन

- (i) बाह्य वाणिज्यिक उधार के ईक्विटी में परिवर्तन की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जाती है –
 - (ए) कंपनी के कार्यकलापों को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए अनुमोदन मार्ग के तहत कवर किया जाता है अथवा विदेशी ईक्विटी सहभागिता के लिए कंपनी ने, जहां लागू हो, सरकारी (एफआईपीबी) अनुमोदन के लिए अनुमति ली है।
 - (बी) कर्ज के ईक्विटी में ऐसे परिवर्तन के बाद विदेशी ईक्विटी धारिता यदि कोई हो, के क्षेत्रीय सीमा के अंदर है।

(सी) सूचीबद्ध/असूचीबद्ध कंपनियों के मामले में शेयरों की कीमत का निर्धारण फेमा, 1999 के तहत जारी कीमत निर्धारण संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार है।

(ii) बाह्य वाणिज्यिक उधार के परिवर्तन की सूचना निम्नानुसार रिज़र्व बैंक को दी जाएगी :

(ए) उधारकर्ताओं से यह अपेक्षा है कि वे बकाया बाह्य वाणिज्यिक उधार के ईक्विटी में पूर्णतः परिवर्तन की रिपोर्ट रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को फार्म एफसी-जीपीआर में देने के साथ ही साथ ही फार्म ईसीबी-2 में सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक को संबंधित माह की समाप्ति से 7 दिनों के अंदर दें। शब्द "ईक्विटी में पूर्णतः परिवर्तित बाह्य वाणिज्यिक उधार" फार्म ईसीबी-2 के ऊपर साफ-साफ लिखा जाए। एक बार रिपोर्ट किए जाने के बाद, अनुवर्ती माह में ईसीबी-2 जमा करने की जरूरत नहीं है।

(बी) यदि बकाया बाह्य वाणिज्यिक उधार का ईक्विटी में आंशिक परिवर्तन होता है, तो उधारकर्ताओं से अपेक्षा है कि वे फार्म एफसी-जीपीआर में परिवर्तित भाग की सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें, साथ ही अपरिवर्तित हिस्से से परिवर्तित हिस्से को अलग करते हुए स्पष्ट रूप से फार्म ईसीबी-2 में जानकारी दें। शब्द "ईक्विटी में आंशिक परिवर्तित बाह्य वाणिज्यिक उधार" ईसीबी-2 फार्म के ऊपर लिखा जाए। बाद के महीनों में बाह्य वाणिज्यिक उधार के बकाया भाग की रिपोर्ट सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग को ईसीबी-2 फार्म में दी जाए।

VIII. बाह्य वाणिज्यिक उधार का स्वरूप देना (Crystallisation)

भारत में स्थित कंपनियों द्वारा रुपये में उगाही गई बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए दी गई गारंटियों में से उत्पन्न अपनी विदेशी मुद्रा देयता को बाह्य वाणिज्यिक उधार का रूप देने के इच्छुक प्राधिकृत व्यापारी बैंक, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, बाह्य वाणिज्यिक उधार प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई 400001 को पूर्ण ब्योरे अर्थात् उधारकर्ता का नाम, उगाही गई राशि, परिपक्वता अवधि, गारंटी/ चुकौती का आश्वासन देनेवाले पत्र के आह्वान की परिस्थितियां, चूक की तारीख, संबंधित प्राधिकृत व्यापारी बैंक की समुद्रपारीय शाखा की देयताओं पर उसका प्रभाव और अन्य संबंधित तथ्य देते हुए प्रस्तुत करें।

IX. पूर्ववर्ती 5 मिलियन अमरीकी डॉलर योजना के अंतर्गत बाह्य वाणिज्यिक उधार

नामित प्राधिकृत व्यापारी को पूर्ववर्ती 5 मिलियन अमरीकी डॉलर के तहत उगाहे गए ऋणों के लिए चुकौती अवधि के विस्तार को अनुमोदित करने की अनुमति है बशर्ते बगैर किसी अतिरिक्त लागत के ऐसे पुनः निर्धारण के लिए समुद्रपारीय उधारदाताओं से सहमति पत्र प्राप्त किया जाता है। मूल/ ऋण पंजीकरण संख्या के साथ वर्तमान और संशोधित चुकौती सूची के साथ ऐसे अनुमोदन की सूचना प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, बाह्य वाणिज्यिक उधार प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय

कार्यालय, मुंबई को अनुमोदन के 7 दिनों के अंदर और इसके बाद ईसीबी-2 में दी जाए।

X. क्रियाविधि को युक्तिसंगत बनाना-

प्राधिकृत व्यापारियों को शक्तियों का प्रत्यायोजन

सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक से एलआरएन फार्म प्राप्त करने के बाद बाह्य वाणिज्यिक उधार की शर्तों में कोई परिवर्तन किए जाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन आवश्यक है। बाह्य वाणिज्यिक उधार उधारकर्ताओं से निम्नलिखित अनुरोध अनुमोदित करने के लिए पदनामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंकों को विनिर्दिष्ट शर्तों पर शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है:

(ए) आहरण द्वारा कमी/चुकौती अनुसूची में परिवर्तन/आशोधन

पदनामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक, अनुमोदन अथवा स्वतः अनुमोदित दोनों मार्गों के तहत पहले ही लिये गये बाह्य वाणिज्यिक उधारों की आहरण द्वारा कमी/चुकौती अनुसूची में परिवर्तन/आशोधन की इस शर्त पर अनुमति दे सकते हैं कि एलआरएन प्राप्त करते समय यथा घोषित औसत परिपक्वता अवधि बनायी रखी जाती है।

नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक, आहरण (drawdown) की समय सारणी में परिवर्तनों/आशोधनों के, बाह्य वाणिज्यिक उधारकर्ताओं से प्राप्त अनुरोधों को, अनुमोदन प्रदान कर सकते हैं, जिससे स्वचालित और अनुमोदन दोनों मार्गों के तहत लिये गये बाह्य वाणिज्यिक उधारों के संबंध में 'मूल औसत परिपक्वता अवधि' में परिवर्तन होगा, बशर्ते यह सुनिश्चित किया जाता है कि बाह्य वाणिज्यिक उधार की चुकौती अनुसूची में कोई परिवर्तन/आशोधन न हों, बाह्य वाणिज्यिक उधार की औसत परिपक्वता अवधि, ऋण पंजीकरण संख्या (LRN) प्राप्त करते समय फॉर्म 83 में दर्शायी गयी मूल औसत परिपक्वता अवधि की तुलना में कम की गयी हो, इस प्रकार कम की गयी औसत परिपक्वता अवधि, मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित की गयी न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि के अनुरूप हो/का पालन करती हो, समग्र लागत में परिवर्तन केवल औसत परिपक्वता अवधि में परिवर्तन के कारण हो तथा बाह्य वाणिज्यिक उधार मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार हो और एलआरएन के संबंध में मासिक ईसीबी-2 विवरणियां सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआईएम) को प्रस्तुत की गयी हों।

आहरण (drawdown) द्वारा कमी/चुकौती अनुसूची में हुए परिवर्तन सांख्यिकीय और सूचना प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक को फॉर्म 83 में तत्परता से रिपोर्ट किये जाएं। तथापि, बाह्य वाणिज्यिक उधार की मूल परिपक्वता की समाप्ति पर, चुकौती में किसी भी अवधि वृद्धि (elongation)/रोलओवर (rollover) के प्रस्ताव के लिए रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता बनी रहेगी।

(बी) उधार की मुद्रा में परिवर्तन

पदनामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक, अनुमोदन अथवा स्वतः अनुमोदित दोनों मार्गों के तहत पहले ही लिये गये बाह्य वाणिज्यिक उधारों के संबंध में यदि उधारकर्ता कंपनी चाहती है तो उधार की मुद्रा में परिवर्तन की अनुमति दे सकते हैं बशर्ते बाह्य वाणिज्यिक उधार की सभी अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहती हैं। तथापि, पदनामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उधार की प्रस्तावित मुद्रा मुक्त

रूप से परिवर्तनीय/विनिमेय है। परिवर्तन सांख्यिकीय और सूचना प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक को फॉर्म 83 में तत्परता से रिपोर्ट किये जाएं।

(सी) प्राधिकृत व्यापारी बैंक बदलना

पदनामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक, उधारकर्ता कंपनी द्वारा बाह्य वाणिज्यिक उधारों के संबंध में अपने लेनदेन करने के लिए मौजूदा पदनामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक में बदलाव मौजूदा पदनामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) की शर्त पर तथा यथोचित सावधानी बरतने के तहत अनुमति दे सकते हैं। परिवर्तन सांख्यिकीय और सूचना प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक को फॉर्म 83 में तत्परता से रिपोर्ट किये जाएं।

(डी) उधारकर्ता कंपनी के नाम में परिवर्तन

पदनामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक, उधारकर्ता कंपनी के नाम में परिवर्तन की अनुमति दे सकते हैं बशर्ते कंपनियों के रजिस्ट्रार से कंपनी के नाम में परिवर्तन के साक्ष्य देनेवाले समर्थनकारी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हों। परिवर्तन सांख्यिकीय और सूचना प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक को फॉर्म 83 में तत्परता से रिपोर्ट किये जाएं।

(ई) मान्यताप्राप्त उधार दाता में परिवर्तन

पदनामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंकों को मान्यताप्राप्त उधार दाता में परिवर्तन करने के संबंध में किए गए अनुरोधों को अनुमोदित करने के अधिकार होंगे जहाँ मूल उधार दाता कोई अंतर्राष्ट्रीय बैंक अथवा कोई बहु-पक्षीय वित्तीय संस्था (जैसे आईएफसी, एडीबी, सीडीसी, आदि) अथवा क्षेत्रीय वित्तीय संस्था अथवा सरकार के स्वामित्व वाली विकास वित्तीय संस्था अथवा निर्यात ऋण एजेंसी अथवा उपकरणों के सप्लायर हों और नया उधार दाता उल्लिखित श्रेणियों में से कोई हो, बशर्ते प्राधिकृत व्यापारी यह सुनिश्चित करे कि नया उधार दाता मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार मानदंडों के अनुसार मान्यताप्राप्त उधार दाता है, बाह्य वाणिज्यिक उधार की अन्य शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं है और बाह्य वाणिज्यिक उधार मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुरूप है। मान्यताप्राप्त उधार दाता में परिवर्तन सांख्यिकीय और सूचना प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक को फॉर्म 83 में तत्परता से रिपोर्ट किये जाएं।

तथापि, विदेशी ईक्विटी धारक और विदेशी सहयोगी के मामले में, मान्यताप्राप्त उधार दाता में परिवर्तन की हेतु रिज़र्व बैंक से अनुमति लेनी अपेक्षित होगी।

(एफ) ऋण पंजीकरण संख्या (LRN) को रद्द करना

स्वचालित और अनुमोदन दोनों मार्गों के तहत लिये गये बाह्य वाणिज्यिक उधारों संबंधी ऋण पंजीकरण संख्या (LRN) रद्द करने हेतु, नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक, सांख्यिकीय और सूचना प्रबंध विभाग

(डीएसआईएम) से सीधे ही संपर्क कर सकते हैं, बशर्ते यह सुनिश्चित किया जाता है कि उसी एलआरएन से कोई ऋण आहरित (draw down) न किया गया हो और संबंधित एलआरएन के संबंध में, अद्यतन मासिक ईसीबी-2 विवरणियां, सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआईएम), को प्रस्तुत की गयी हों।

(जी) बाह्य वाणिज्यिक उधार राशि के अंतिम-उपयोग में परिवर्तन

नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक, **स्वचालित मार्ग** के तहत लिये गये बाह्य वाणिज्यिक उधारों के अंतिम-उपयोग में परिवर्तन हेतु बाह्य वाणिज्यिक उधारकर्ताओं से प्राप्त अनुरोधों को अनुमोदन प्रदान कर सकते हैं बशर्ते यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रस्तावित अंतिम-उपयोग मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार स्वचालित मार्ग के तहत अनुमति योग्य हों, बाह्य वाणिज्यिक उधार की अन्य शर्तों में कोई परिवर्तन न हों, बाह्य वाणिज्यिक उधार मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार हों और एलआरएन के संबंध में आज की तारीख तक (अद्यतन) मासिक ईसीबी-2 विवरणियां सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआईएम) को प्रस्तुत की गयी हों। अंतिम-उपयोग में परिवर्तन, फॉर्म 83 में, सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआईएम), भारतीय रिज़र्व बैंक को तत्परता से रिपोर्ट किए जाएंगे।

तथापि, **अनुमोदन मार्ग** के तहत लिये गये बाह्य वाणिज्यिक उधारों के अंतिम-उपयोग में हुए परिवर्तन, अब तक की भांति, विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक को संदर्भित/प्रस्तुत करना जारी रखे जाएंगे।

(एच) बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) की राशि में कटौती/कमी

नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक, **स्वचालित मार्ग** के तहत लिये गये बाह्य वाणिज्यिक उधारों के संबंध में ऋण राशि में कटौती/कमी हेतु बाह्य वाणिज्यिक उधारकर्ताओं से प्राप्त अनुरोधों को अनुमोदन प्रदान कर सकते हैं, बशर्ते यह सुनिश्चित किया जाता है कि ऋण राशि में कटौती/कमी के लिए उधारदाता की सहमति प्राप्त की गयी हो, बाह्य वाणिज्यिक उधार की औसत परिपक्वता अवधि बनायी रखे गयी हो, एलआरएन के संबंध में मासिक ईसीबी-2 विवरणियां सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआईएम) को प्रस्तुत की गयी हों; और बाह्य वाणिज्यिक उधार की अन्य शर्तों में कोई परिवर्तन न हो। परिवर्तन, फॉर्म 83 में, सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआईएम), भारतीय रिज़र्व बैंक को तत्परता से रिपोर्ट किए जाएंगे।

(आई) बाह्य वाणिज्यिक उधार की समग्र लागत में कटौती/कमी

नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक, **स्वचालित और अनुमोदन मार्गों** के तहत लिये गये बाह्य वाणिज्यिक उधारों के संबंध में, समग्र लागत में कटौती हेतु बाह्य वाणिज्यिक उधारकर्ताओं से प्राप्त अनुरोधों को अनुमोदन प्रदान कर सकते हैं, बशर्ते यह सुनिश्चित किया जाता है कि उधारदाता की सहमति प्राप्त की गयी हो; और बाह्य वाणिज्यिक उधार की अन्य शर्तों में कोई परिवर्तन न हो और एलआरएन के संबंध में मासिक ईसीबी-2 विवरणियां सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआईएम) को प्रस्तुत की गयी हों।

भाग- II

भारत में आयात के लिए व्यापारिक उधार

"व्यापार ऋण" का आशय तीन वर्ष से कम की परिपक्वता अवधि के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ता, बैंक और वित्तीय संस्थाओं द्वारा आयात के लिए सीधे ही दिए गए ऋण से है। वित्त के स्रोत के आधार पर ऐसे व्यापारिक ऋण में आपूर्तिकर्ता का ऋण अथवा क्रेता का ऋण शामिल है। आपूर्तिकर्ता ऋण का संबंध विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा भारत में आयातों के लिए दिया जाने वाला ऋण है, जबकि क्रेता ऋण भारत में आयात के लिए किए जाने वाले भुगतान हेतु आयातक द्वारा भारत से बाहर किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था से तीन वर्ष से कम की परिपक्वता वाले ऋण की व्यवस्था करना है। यह ध्यान रहे कि तीन वर्ष और उससे अधिक अवधि के क्रेता ऋण और आपूर्तिकर्ता ऋण, बाह्य वाणिज्यिक उधार की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं जो बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी दिशा-निर्देशों द्वारा नियंत्रित होते हैं।

(ए) राशि और परिपक्वता अवधि

प्राधिकृत व्यापारी बैंक, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की मौजूदा विदेश व्यापार नीति के तहत भारत में आयात के लिए एक वर्ष तक की परिपक्वता अवधि वाले (पोत लदान की तारीख से) अनुमत आयातों के लिए 20 मिलियन अमरीकी डॉलर प्रति आयात लेनदेन के हिसाब से व्यापारिक उधार अनुमोदित कर सकते हैं। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा यथावर्गीकृत पूंजी माल आयात के लिए प्राधिकृत व्यापारी बैंक प्रति आयात लेनदेन 20 मिलियन अमरीकी डॉलर तक के लिए एक वर्ष से अधिक और तीन वर्ष से कम (पोत लदान की तारीख से) परिपक्वतावाले व्यापार ऋण अनुमोदित कर सकते हैं। अनुमत अवधि से अधिक के लिए किसी भी प्रकार के स्वतः समय विस्तार / विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी।

प्राधिकृत व्यापारी बैंक 20 मिलियन अमरीकी डॉलर प्रति आयात लेनदेन से अधिक के व्यापारिक ऋण का अनुमोदन नहीं करेंगे।

बी) समग्र लागत सीमा

वर्तमान समग्र लागत संबंधी उच्चतम सीमा निम्नानुसार है:

परिपक्वता अवधि	छः माह तक के लाइबोर* से ऊपर समग्र लागत सीमा
एक वर्ष तक	350 आधार अंक
एक वर्ष से अधिक परंतु तीन वर्षों से कम	

* ऋण की संबंधित मुद्रा अथवा लागू बेंचमार्क के लिए

समग्र लागत सीमा में व्यवस्थापक शुल्क, अपफ्रंट शुल्क, प्रबंधन शुल्क, लदाई-उतराई/ प्रॉसेसिंग प्रभार, फुटकर और कानूनी खर्च, यदि कोई हो, शामिल होंगे। समग्र लागत संबंधी उच्चतम सीमा 30 सितंबर 2012 तक लागू और तदुपरांत समीक्षा के अधीन है।

सी) गारंटी

प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत अनुमत सभी गैर-पूंजीगत आयातों (स्वर्ण, पल्लाडियम, प्लैटिनम, रोडियम, चाँदी आदि को छोड़कर) हेतु एक वर्ष की अवधि के लिए और पूंजीगत माल के आयात हेतु तीन वर्ष की अवधि के लिए, समय-समय पर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा

जारी विवेकपूर्ण दिशा-निर्देशों के अधीन प्रति लेनदेन 20 मिलियन अमरीकी डॉलर तक के समुद्रपारीय आपूर्तिकर्ता, बैंक और वित्तीय संस्थाओं के पक्ष में साख-पत्र/गारंटियां / वचनपत्र / चुकौती आश्वासन पत्र जारी करने की अनुमति है। ऐसे साख-पत्र/गारंटियों/ वचनपत्रों/ चुकौती आश्वासन पत्रों की अवधि ऋण अवधि के अनुरूप हो और उसकी गणना पोत पर माल लदान की तारीख से की जाए।

डी) रिपोर्टिंग व्यवस्था

प्राधिकृत व्यापारी बैंकों से अपेक्षित है कि वे अप्रैल 2004 से आगे फार्म टीसी (अनुबंध IV में दिए गए फॉर्मेट) में माह के दौरान अपनी सभी शाखाओं द्वारा दिए गए व्यापारिक ऋण के अनुमोदनों, आहरणों, उपयोगों और चुकौती का समेकित विवरण निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रभाग, आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 8वीं मंज़िल, फोर्ट, मुंबई - 400 001 को (और एमएस-एक्सेल फाइल में [ई-मेल](#) द्वारा) इस प्रकार भेजें कि वह अगले माह की 10 तारीख तक प्राप्त हो जाए। प्रत्येक व्यापारिक ऋण को प्राधिकृत व्यापारी एक विशिष्ट पहचान संख्या दें।

प्राधिकृत व्यापारी बैंकों से अपेक्षित है कि वे अपनी सभी शाखाओं द्वारा जारी साख-पत्रों/गारंटियों/वचनपत्रों/ चुकौती आश्वासन पत्रों संबंधी आंकड़ों का एक समेकित विवरण तिमाही अंतराल पर (संलग्नक V के फॉर्मेट में) प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, बाह्य वाणिज्यिक उधार प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 11वीं मंज़िल, मुंबई 400001 को (और [ई-मेल](#) के माध्यम से MS-Excel फाइल में) इस प्रकार भेजें कि वह अगले माह की 10 तारीख तक विभाग को प्राप्त हो जाए।

फार्म - ईसीबी

अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत बाह्य वाणिज्यिक उधार की उगाही के लिए आवेदनपत्र

अनुदेश

आवेदक, पूर्ण रूप से भरा गया आवेदनपत्र, नामित प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, बाह्य वाणिज्यिक उधार प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई-400 001 को प्रेषित करें।

प्रलेखन

प्राधिकृत व्यापारी द्वारा प्रमाणित निम्नलिखित दस्तावेज (जो संबंधित हो), आवेदनपत्र के साथ प्रस्तुत किए जाएं ;

- (i) विदेशी उधारदाता/आपूर्तिकर्ता से प्रस्तावित बाह्य वाणिज्यिक उधार के सभी शर्तों का पूर्ण विवरण देते हुए प्रस्ताव पत्र की एक प्रति।
- (ii) आयात संविदा, प्रोफार्मा / वाणिज्यिक बीजक / लदान बिल की एक प्रति।

भाग-ए- उधारकर्ता के बारे में सामान्य जानकारी

1. आवेदक का नाम
(अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)
पता
2. आवेदक की हैसियत
 - i) निजी क्षेत्र
 - ii) सरकारी क्षेत्र

भाग-बी-प्रस्तावित बाह्य वाणिज्यिक उधार के बारे में जानकारी

मुद्रा राशि अमरीकी डॉलर में
समतुल्य राशि

1. बाह्य वाणिज्यिक उधार के ब्योरे

(ए) बाह्य वाणिज्यिक उधार का प्रयोजन

(बी) बाह्य वाणिज्यिक उधार का स्वरूप [कृपया उचित बॉक्स में (x) लिखें]

(i)	आपूर्तिकर्ता ऋण	
(ii)	क्रेता ऋण	
(iii)	सामूहिक ऋण	
(iv)	निर्यात ऋण	
(v)	विदेशी सहयोगी / ईक्रीटी धारक से ऋण (राशि, उधारकर्ता कंपनी	

	की प्रदत्त ईक्विटी पूंजी में ईक्विटी धारिता प्रतिशत के ब्योरे सहित)	
(vi)	अस्थायी दर वाले नोट	
(vii)	नियत दर वाले बांड	
(viii)	ऋण सहायता	
(ix)	वाणिज्यिक बैंक ऋण	
(x)	अन्य (कृपया उल्लेख करें)	

सी)	बाह्य वाणिज्यिक उधार की शर्तें	:
(i)	ब्याज दर	:
(ii)	प्रारंभिक शुल्क (अप-फ्रंट फी)	:
(iii)	प्रबंधन शुल्क	:
(iv)	अन्य प्रभार, अगर कोई हो तो (कृपया उल्लेख करें)	:
(v)	समग्र लागत	:
(vi)	वायदा शुल्क	:
(vii)	दंडात्मक ब्याज की दर	:
(viii)	बाह्य वाणिज्यिक उधार की अवधि	:
(ix)	क्रय/विक्रय विकल्प के ब्योरे, अगर कोई हो तो	:
(x)	रियायत/अधिस्थगन अवधि	:
(xi)	चुकौती की शर्तें (अर्धवार्षिक/वार्षिक/बुलेट)	:
(xii)	औसत परिपक्वता	

2. उधारदाता के ब्योरे

उधारदाता / आपूर्तिकर्ता का नाम और पता

3. दी जाने वाली सेक्यूरिटी, यदि कोई हो, का स्वरूप

भाग सी - आहरण द्वारा कमी और चुकौती संबंधी जानकारी

प्रस्तावित अनुसूची								
आहरण द्वारा कमी			मूलधन की चुकौती			ब्याज का भुगतान		
माह	वर्ष	राशि	माह	वर्ष	राशि	माह	वर्ष	राशि

भाग डी - अतिरिक्त जानकारी

1. परियोजना संबंधी जानकारी
 - i) परियोजना का नाम और स्थान :
 - ii) परियोजना की कुल लागत : रु. अमरीकी डॉलर
 - iii) परियोजना लागत के प्रतिशत के रूप में कुल बाह्य वाणिज्यिक उधार :
 - iv) परियोजना का स्वरूप :
 - v) क्या वित्तीय संस्था / बैंक द्वारा मूल्यांकन किया गया है ?
 - vi) संरचनात्मक क्षेत्र :
 - ए) बिजली
 - बी) दूरसंचार
 - सी) रेलवे
 - डी) पुल समेत रोड
 - ई) पोर्ट
 - एफ) औद्योगिक पार्क
 - जी) शहरी संरचना - पानी की आपूर्ति, सैनिटेशन और सीवरेज
 - vii) क्या किसी सांविधिक प्राधिकरण से मंजूरी की जरूरत है ? :
अगर हां, तो प्राधिकरण का नाम बताएं, मंजूरी सं. और दिनांक का उल्लेख करें।

2. चालू और पिछले तीन वित्तीय वर्षों में लिया गया बाह्य वाणिज्यिक उधार (पहली बार के उधारकर्ताओं के लिए लागू नहीं)

वर्ष	पंजीकरण सं.	करेंसी	ऋण राशि	संवितरित राशि	बकाया राशि*

* आवेदन की तारीख को चुकौतियों का निवल, अगर कोई हो तो।

भाग ई- प्रमाणीकरण

1. आवेदक द्वारा -

हम इसके साथ यह प्रमाणित करते हैं कि (i) हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार दिए गए उक्त ब्योरे सत्य और सही हैं और (ii) उगाही जाने वाली बाह्य वाणिज्यिक उधार का उपयोग अनुमत प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।

(आवेदक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

स्थान _____

नाम : _____

दिनांक _____

मुहर

पदनाम : _____

फोन सं. : _____

फैक्स सं. : _____

ई-मेल : _____

2. प्राधिकृत व्यापारी द्वारा -

हम इसके साथ यह प्रमाणित करते हैं कि (i) आवेदक हमारा ग्राहक है (ii) हमने उधारदाता / आपूर्तिकर्ता से प्राप्त आवेदन और प्रस्ताव के मूल पत्र और प्रस्तावित उधार से संबंधित दस्तावेजों की जांच की है और उसे सही पाया है।

(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

स्थान _____

नाम : _____

दिनांक _____

मुहर

बैंक / शाखा का नाम : _____

प्राधिकृत व्यापारी कूट

फॉर्म 83

(विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अधीन ऋण करार व्योरो की रिपोर्टिंग)

उधारकर्ता द्वारा ईसीबी की सभी श्रेणियों और किसी भी राशि के लिए इसे दो प्रतियों में पदनामित प्राधिकृत व्यापारी (एडी) को प्रस्तुत किया जाना है। प्राधिकृत व्यापारी मौजूदा ईसीबी दिशानिर्देशों के तहत जाँच करने के बाद फॉर्म के भाग एफ में आवश्यक व्योरे दे तथा ऋण पंजीकरण संख्या (एलआरएन) के आबंटन के लिए एक प्रति (उधारकर्ता और उधारदाता के बीच ऋण करार हस्ताक्षरित होने की तारीख से 7 दिनों के भीतर) निम्नलिखित को प्रेषित करें:

निदेशक

भुगतान संतुलन सांख्यिकीय प्रभाग

सांख्यिकीय और सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआईएम)

भारतीय रिज़र्व बैंक

सी-8-9, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स

मुंबई - 400051

करार के व्योरे (बाह्य वाणिज्यिक उधारों के उधारकर्ताओं द्वारा भरे जाएं)				
ईसीबी मार्ग(उचित कॉलम में टिक लगाएं)	अनुमोदन मार्ग		स्वतः अनुमोदन मार्ग	
अनुमोदन मार्ग के मामले में				
भा.रि.बैंक-वि.मु.वि. द्वारा दिए गए अनुमोदन की सं. और तारीख: (अनुमोदन पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें)				
ऋण की मूल (key) संख्या (भा.रि.बैंक द्वारा आबंटित)				
पूर्ववर्ती ऋण पंजीकरण सं. (केवल संशोधित फॉर्म 83 के लिए लागू)				
भाग ए: उधारकर्ता के व्योरे				
उधारकर्ता का नाम और पता (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)	उधारकर्ता की श्रेणी (उचित कॉलम में टिक लगाएं)			
	सरकारी क्षेत्र		निजी क्षेत्र	
कंपनियों के रजिस्ट्रार द्वारा दी गयी पंजीकरण सं.:	विस्तृत श्रेणी (उचित कॉलम में टिक लगाएं)			
	कापॉरिट-विनिर्माण			
कंपनी की पीएएन (पैन) सं.:	कापॉरिट-इंफ्रास्ट्रक्चर			
	कापॉरिट-सेवा क्षेत्र-(होटल्स,अस्पताल तथा सॉफ्टवेयर)			
व्यवसाय गतिविधि:	कापॉरिट-सेवा क्षेत्र-(होटल्स,अस्पताल तथा सॉफ्टवेयर से भिन्न)			
	बैंक			
संपर्क अधिकारी का नाम :	वित्तीय संस्था (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी से इतर)			
पदनाम :	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- आईएफसी	पंजीकरण सं.		
फोन सं :	गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनी- एमएफआई	पंजीकरण सं.		
फैक्स सं. :	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- अन्य	पंजीकरण सं.		
ई-मेल आईडी :	गैर- सरकारी संगठन (एनजीओ)			

(कोई भी मद खाली न छोड़ी जाए)	व्यष्टि वित्त संस्था (एमएफ)									
	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)									
भाग:बी उधारदाता के ब्योरे										
उधारदाता/पट्टादाता/विदेशी आपूर्तिकर्ता का नाम और पता (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में) देश: ई-मेल आईडी : (कोई भी मद खाली न छोड़ी जाए)	उधारदाता की श्रेणी (उचित कॉलम में टिक लगाएं)									
	बहुपक्षीय वित्तीय संस्था									
	विदेशी सरकार (द्विपक्षीय एजेंसी)									
	निर्यात ऋण एजेंसी									
	विदेश में स्थित भारतीय वाणिज्य बैंक की शाखा									
	अन्य वाणिज्य बैंक									
	उपकरण के आपूर्तिकर्ता									
	पट्टादायी कंपनी									
	विदेशी सहभागी/ विदेशी ईक्विटी धारक									
	अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाज़ार									
क्षेत्रीय वित्तीय संस्था										
सरकारी स्वामित्व वाली विकास वित्तीय संस्था										
अन्य(विनिर्दिष्ट करें)										
उधारकर्ता कंपनी में उधारदाता की विदेशी ईक्विटी धारिता के ब्योरे: (ए)उधारकर्ता का प्रदत्त ईक्विटी में शेयर (%)	(बी) प्रदत्त पूंजी की राशि									
ईसीबी-देयता: विदेशी ईक्विटी धारक से 5 मिलियन अमरीकी डॉलर से ऊपर के उधार के मामले में ईक्विटी अनुपात										
भाग सी: ऋण के ब्योरे										
ऋण करार की तारीख (वववव/मम/दिदि)										
ऋण की प्रभावी तारीख										
संवितरण की अंतिम तारीख										
परिपक्वता तारीख (अंतिम भुगतान की तारीख)										
रियायत अवधि (यदि करार में हो)	वर्ष					माह				
मुद्रा						करेंसी कूट (स्विफ्ट)				
1.										
2.										
3.										
राशि (विदेशी मुद्रा में)										
1.										
2.										
3.										
समतुल्य राशि(अमरीकी डॉलर में) (इस फॉर्म की तारीख को)										
राशि का प्रस्तावित द्विभाजन (ऋण मुद्रा में)	विदेशी मुद्रा व्यय					रुपया व्यय				

*1.	माल और सेवाओं के आयात के मामले में आहरण द्वारा कमी की तारीख के सामने आयात की तिथि दी जाए।			
2.	वित्तीय पट्टे के मामले में माल के अधिग्रहण (आयात) की तिथि को आहरण द्वारा कमी की तिथि के रूप में लिखा जाए।			
3.	प्रतिभूतिकृत लिखत के मामले में, जारी करने की तारीख को आहरण द्वारा कमी की तिथि के रूप में दर्शाया जाए।			
4.	आहरण द्वारा कमी के एक से अधिक लेनदेन यदि ऊपर एक पंक्ति में दर्शाए जाते हैं तो प्रथम लेनदेन की तारीख लिखी जाए। # यदि आहरण असमान किस्तों में हैं तो ब्योरे संलग्नक (अनुबंध) में दिए जाएं।			

मूल चुकौती अनुसूची

दिनांक (वर्ष/माह/ दिन)	मुद्रा	राशि	यदि एक से अधिक एकसमान किस्तें हों तो#	
			भुगतान किस्तों की संख्या	एक कैलेंडर वर्ष में भुगतानों की संख्या

यदि आहरण असमान किस्तों में है तो ब्योरे संलग्नक (अनुबंध) में दिए जाएं।

भाग डी:अन्य प्रभार

प्रभार का स्वरूप (स्पष्ट करें)	भुगतान की अपेक्षित तिथि	मुद्रा	राशि	अनेक समान भुगतानों के मामले में	
				एक वर्ष में भुगतानों की सं.	भुगतानों की कुल सं.
विलंब से भुगतान के लिए दण्डात्मक व्याज			नियत % अथवा आधार: मार्जिन:		
प्रतिबद्धता प्रभार			-----का प्रति वर्ष % अनाहरित राशि का %		

भाग ई: पहले लिए गए ईसीबी के ब्योरे-(पहली बार उधार लेने वाले पर लागू नहीं)

वर्ष	ऋण पंजीकरण सं.	मुद्रा	ऋण राशि		
			मूल राशि(करार के अनुसार)	अब तक वितरित राशि	निवल बकाया राशि (मूल)

हम इसके साथ यह प्रमाणित करते हैं कि हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार दिए गए उक्त ब्योरे सत्य और सही हैं। कोई भी मत्वपूर्ण सूचना रोकी/अथवा गलत नहीं दी गयी है। इसके अतिरिक्त, ईसीबी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार है।

स्थान : _____
दिनांक : _____ मुहर (कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर)
नाम: _____ पदनाम: _____

(कंपनी सचिव/ सनदी लेखाकार के हस्ताक्षर)

स्थान : _____
दिनांक: _____ मुहर नाम _____
पंजीकरण सं. _____

भाग एफ: (प्राधिकृत व्यापारी द्वारा भरा जाना है)

हमने संबंधित दस्तावेजों की छानबीन की है और निम्नानुसार पुष्टि करते हैं कि:

1	अंतिम उपयोग (यदि एक अंतिम उपयोग से अधिक उपयोग हैं तो % हिस्सा दें)	(i)	निम्नलिखित में से एक को टिक करें	
		(ii)	स्वतः अनुमोदित	विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदन मार्ग के तहत अनुमत
		(iii)	मार्ग के तहत अनुमत	
2	औसत परिपक्वता	वर्ष	माह	
3	लागत फैक्टर (%)	नियत दर ऋण	फ्लोटिंग दर ऋण	
			मार्जिन (स्प्रेड)	बेस
			ओवर बेस	
	ए) ब्याज दर			
	बी) समग्र लागत			
4	विदेशी ईक्विटी धारक से ऋण के मामले में, यह पुष्टि की जाती है कि: ए) उधारकर्ता की प्रत्यक्ष ईक्विटी होल्डिंग प्रदत्त ईक्विटी की न्यूनतम 25 प्रतिशत है (भा.रि.बैंक द्वारा रिकार्ड पर लिए गए एफसीजीपीआर /रिकार्ड पर लिए गए एफसीटीआरएस के अनुसार) बी) 5 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक उधारों के लिए प्रस्तावित उधारों सहित, ईसीबी देयता-ईक्विटी अनुपात (4:1) मापदंड का पालन किया जाता है			
5	उधारकर्ता ने प्राधिकृत व्यापारी को इस आशय का लिखित वचनपत्र दिया है कि वह विगत ईसीबी/एफसीसीबी ऋणों के संबंध में भा.रि.बैंक को नियमित रूप से ईसीबी-2 विवरण प्रस्तुत कर रहा है	हाँ/लागू नहीं		
6	एलआरएन के आबंटन हेतु अन्य संगत महत्वपूर्ण तथ्य			

हम यह प्रमाणित करते हैं कि उधारकर्ता हमारे ग्राहक हैं और इस फार्म में दिए गए ब्योरे हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं। यह आवेदन पत्र, बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुरूप है तथा हम भा.रि.बैंक द्वारा ऋण पंजीकरण नंबर (एलआरएन) के आबंटन के लिए सिफारिश करते हैं।

स्थान : _____ मुहर _____
दिनांक: _____ (प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)
नाम: _____ पदनाम : _____

बैंक/शाखा का नाम : _____ प्रा.व्या.कूट(भाग।औरभाग।।): _____

टेलीफोन नं.:

फैक्स नं.:

ई-मेल आईडी:

केवल रिज़र्व बैंक (सांसूत्रवि) के उपयोग के लिए

सीएस-डीआरएमएस टीम	प्राप्ति की तारीख	कार्रवाई की तारीख	ऋण वर्गीकरण
एलआरएन(यदि आबंटित हो)			

फॉर्म 83 प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश

1. सभी तिथियां वर्ष/महीना/दिनांक के फॉर्मेट में होनी चाहिए (जैसे 21 जनवरी 2012 के लिए 2012/01/21)।
2. कोई भी मद (कॉलम) रिक्त न छोड़ें। जहां कोई मद लागू न हो वहां 'लागू नहीं' लिखें।
3. यदि किसी मद के सामने पूरी जानकारी/ ब्योरे देने के लिए पर्याप्त स्थान न हो, तो फॉर्म के साथ अलग से पन्ना जोड़ा जाए और संलग्नक (अनुबंध) के रूप में उसे क्रम संख्या दी जाए। ऐसा प्रत्येक संलग्नक उधारकर्ता और प्राधिकृत व्यापारी दोनों द्वारा प्रमाणित किया जाए।
4. उधारकर्ता प्राधिकृत व्यापारी के उपयोग के लिए अपने व्यवसाय गतिविधि (क्या विनिर्माण/व्यापार/सेवा प्रदाता, आदि) का संक्षिप्त ब्योरा दें।
5. रिज़र्व बैंक को फॉर्म अग्रेषित करने से पहले, प्राधिकृत व्यापारी यह सुनिश्चित करें कि फॉर्म सभी तरह से पूर्ण और सही है तथा संबंधित सभी मूल दस्तावेजों की स्वयं अवश्य जांच करे। अपूर्ण फॉर्म भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत व्यापारी को अस्वीकृत किए/वापस लौटाये जा सकते हैं।
6. विकास वित्तीय संस्थाओं/ वित्तीय संस्थाओं/ बैंकों / गैर -बैंकिंग वित्तीय कंपनियों आदि के जरिए उप-ऋण प्राप्त करने वाली फर्म / कंपनियां यह फॉर्म न भरें किंतु रिपोर्टिंग के लिए सीधे ही संबंधित वित्तीय संस्था से संपर्क करें।
7. फॉर्म का भाग सी भरने में उपयोग करने के लिए निम्नलिखित कूट हैं :

बॉक्स 1 : गारंटी स्थिति कूट		
क्रम सं.	कूट	विवरण
1	जीजी	भारत सरकार की गारंटी
2	सीजी	सार्वजनिक क्षेत्र की गारंटी
3	पीवी	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की गारंटी
4	एफआई	वित्तीय संस्था की गारंटी
5	एमबी	बहुपक्षीय/ द्विपक्षीय संस्था की गारंटी
6	पीजी	निजी बैंक की गारंटी
7	पीएस	निजी क्षेत्र की गारंटी
8	एमएस	परिसंपत्ति / प्रतिभूति बंधक
9	ओजी	अन्य गारंटी
10	एनएन	गारंटीकृत नहीं

बॉक्स 2 : उधार के प्रयोजन का कूट		
क्रम सं.	कूट	विवरण
1	आईसी	पूंजी माल का आयात
2	आरएल	पूंजी माल का स्थानीय स्रोत (रुपया व्यय)
3	एसएल	ऑन लेंडिंग अथवा सब लेंडिंग
4	आरएफ	पहले लिए गए ईसीबी का पुनर्वित्तपोषण
5	एनपी	नई परियोजना
6	एमई	विद्यमान इकाइयों का आधुनिकीकरण/ विस्तार
7	पीडब्ल्यू	बिजली
8	टीएल	दूरसंचार
9	आरडब्ल्यू	रेलवे
10	आरडी	रोड
11	पीटी	बंदरगाह
12	आईएस	औद्योगिक पार्क
13	यूआई	शहरी मूलभूत/ आवश्यक

						संरचना तत्व
				14	ओआई	संयुक्त उद्यमों/पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियों में समुद्रपारीय निवेश
				15	डीआई	सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का विनिवेश
				16	टीएस	टेक्सटाइल उद्योग/स्टील उद्योग पुनर्रचना पैकेज
				17	एमएफ	माइक्रो फाइनेंस कार्यकलाप
				18	ओटी	अन्य (कृपया स्पष्ट करें)
				19	ईआर	खनन, अन्वेषण और परिष्करण
				20	सीएस	कोल्ड स्टोरेज अथवा शीत गृह सुविधा
				21	सीआई	निर्माण के दौरान ब्याज
				22	आरआर	रुपया ऋणों का पुनर्वित्तपोषण
				23	आरबी	एफसीसीबी का मोचन

बॉक्स 3 : औद्योगिक कूट		
उद्योग समूह का नाम	उद्योग का विवरण	कूट
बागान(100)	चाय	111
	कॉफी	112
	रबड़	113
	अन्य	119
खनन(200)	कोयला	211
	धातु	212
	अन्य	219
पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पाद विनिर्माण		300
कृषि उत्पाद (400)	खाद्यान्न	411
	पेय पदार्थ	412
	चीनी	413
	सिगरेट तथा तंबाकू	414
	ब्रुअरी और डिस्टिलरी	415
	अन्य	419
	कपड़ा(टेक्सटाइल) उत्पाद (420)	सूती वस्त्र
	जूट और कॉइर (नारियल जटा)	422
	रेशम और रयॉन	423
	अन्य वस्त्र	429
परिवहन उपकरण (430)	ऑटोमोबाइल	431
	ऑटो उपकरण और पुर्जे	432

	जहाज़ निर्माण उपकरण और गोदाम	433
	रेलवे उपकरण और गोदाम	434
	अन्य	439
मशीन और औजार (440)	कपड़ा (टेक्सटाइल) मशीनें	441
	कृषि मशीनें	442
	मशीन औजार	443
	अन्य	449
धातु और धातु उत्पाद (450)	फेरस (लोहा और इस्पात)	451
	नॉन-फेरस	452
	विशेष एल्यूमीनियम	453
	अन्य	459
इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक माल और मशीनें (460)	इलेक्ट्रिकल माल	461
	केबल	462
	कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर आधारित प्रणाली	463
	इलेक्ट्रॉनिक बॉल्ब, ट्यूब और अन्य	464
	अन्य	469
रसायन और संबंधित उत्पाद (470)	खाद (उर्वरक)	471
	रंग और रंग सामग्री	472
	दवाइयां और फार्मस्युटिकल्स	473
	पेंट और वार्निशिंग	474
	साबुन, डिटर्जेंट, शैम्पू, शेविंग उत्पाद	475
	अन्य	479
अन्य उत्पाद (480)	सीमेंट	481
	अन्य निर्माण सामग्री	482
	चमड़ा और चमड़ा उत्पाद	483
	लकड़ी के उत्पाद	484
	रबड़ माल	485
	कागज़ और कागज़ उत्पाद	486
	टाइपराइटर और अन्य कार्यालय उपकरण	487
	छपाई और प्रकाशन	488
	विविध	489
व्यापार		500
निर्माण और टर्न की परियोजनाएं		600
परिवहन		700
उपयोगिता वस्तुएं (800)	बिजली उत्पादन, संचारण और वितरण	811
	अन्य	812
बैंकिंग क्षेत्र		888
सेवाएं(900)	दूरसंचार सेवाएं	911
	सॉफ्टवेयर विकास सेवाएं	912
	तकनीकी इंजीनियरिंग और परामर्श सेवाएं	913
	दौरे और यात्रा सेवाएं	914

	कोल्ड स्टोरेज, कैनिंग और गोदाम सेवाएं	915
	मीडिया विज्ञापन और मनोरंजन सेवाएं	916
	वित्तीय सेवाएं	917
	परिवहन सेवाएं	919
	अन्य	950
अन्य (जिन्हें और कहीं वर्गीकृत न किया गया हो)		999

ईसीबी-2

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अधीन बाह्य वाणिज्यिक उधार के वास्तविक लेनदेनों की रिपोर्टिंग (ऋण के सभी संवर्गों और किसी भी राशि के लिए)

माह _____ की विवरणी

1. यह विवरणी ईसीबी के सभी संवर्गों के लिए भरी जानी चाहिए। इसे माह की समाप्ति से 7 कार्य दिवस के भीतर नामित प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से निदेशक, सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (सांसूप्रवि), भुगतान संतुलन सांख्यिकी प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, सी-8/9, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051 को भेजा जाना चाहिए। किसी विशिष्ट अवधि में कोई लेनदेन न होने की स्थिति में "कुछ नहीं" विवरणी भेजी जानी चाहिए।
2. कृपया कोई भी स्तंभ खाली न छोड़ें। प्रत्येक मद के सामने पूर्ण ब्योरे प्रस्तुत करें। जहां कोई विशिष्ट मद लागू न हो उसके सामने "लागू नहीं" लिखें।
3. सभी तिथियां वववव/मम/दिदि के फॉर्मेट में होनी चाहिए, जैसे कि 21जनवरी 2004 के लिए 2004/01/21।
4. विकास वित्तीय संस्थाओं (डीएफआई)/बैंकों/गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं आदि के जरिए उप-ऋण लेने वाले उधारकर्ता इस फार्म को न भरें चूंकि संबंधित वित्तीय संस्था ईसीबी-2 सीधे ही प्रस्तुत करेगी।
5. रिज़र्व बैंक (सांसूप्रवि) को विवरणी अग्रप्रेषित करने से पहले, कंपनी सचिव/ सनदी लेखकार संबंधित सभी मूल दस्तावेजों की अवश्य जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि विवरणी सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ईसीबी दिशानिर्देशों के अनुसार सभी तरह से पूर्ण और सही है।
6. युनिक ऋण पहचान संख्या/रिज़र्व बैंक प्रदत्त पंजीकरण सं. (01 फरवरी 2004 से पहले अनुमोदित ऋण के मामले में) रिज़र्व बैंक द्वारा आबंटित किए गए अनुसार दिया जाना चाहिए। उसी प्रकार ऋण पंजीकरण संख्या (01 फरवरी 2004 के बाद की अवधि हेतु) दी जानी चाहिए।
7. यदि किसी मद के सामने पूरी जानकारी/ ब्योरे देने के लिए पर्याप्त स्थान न हो, तो विवरणी के साथ अलग से पन्ना जोड़ा जाए और संलग्नक(अनुबंध) के रूप में उसे क्रमानुसार संख्या दी जाए।
8. आहरण द्वारा कमी के उपयोग के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित कूट का उपयोग किया जाए।

बॉक्स 1 : उपयोग के प्रयोजन के लिए कूट					
सं.	कूट	विवरण	सं.	कूट	विवरण
1	आईसी	पूंजी माल का आयात	12	टीएल	दूरसंचार
2	आई एन	गैर-पूंजी माल का आयात	13	आरडब्ल्यू	रेलवे
3	आरएल	पूंजी माल का स्थानीय स्रोत (रुपया व्यय)	14	आरडी	रोड
4	आरसी	कार्यशील पूंजी (रुपया व्यय)	15	पीटी	पोर्ट
5	एसएल	ऑन-लेंडिंग और सब-लेंडिंग	16	आईएस	औद्योगिक पार्क
6	आरपी	पहले लिए गए ईसीबी की चुकौती	17	यू आई	शहरी मूलभूत आवश्यक तत्व
7	आई पी	ब्याज भुगतान	18	ओआई	संयुक्त उद्यमों/पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियों में समुद्रपारीय निवेश

8	एचए	विदेश में धारित राशि	19	आईटी	एकीकृत टाउनशिप का विकास
9	एनपी	नई परियोजना	20	डीआई	सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का विनिवेश
10	एमई	विद्यमान इकाइयों का आधुनिकीकरण / विस्तार	21	टीएस	कपड़ा उद्योग/स्टील उद्योग पुनर्रचना पैकेज
11	पीडब्ल्यू	विजली	22	एमएफ	माइक्रो फाइनेंस कार्यकलाप
			23	ओटी	अन्य (कृपया स्पष्ट करें)

9. विप्रेषण के लिए निधियों के स्रोत के लिए निम्नलिखित कूट का उपयोग करें।

बॉक्स 2 : विप्रेषण के लिए निधियों का स्रोत		
सं.	कूट	विवरण
1	ए	भारत से विप्रेषण
2	बी	विदेशी में धारित खाता
3	सी	विदेशी में धारित निर्यात आय
4	डी	ईक्विटी पूंजी का परिवर्तन
5	ई	अन्य (कृपया स्पष्ट करें)

केवल रिज़र्व बैंक (सांसूप्रवि) के उपयोग के लिए	लोन की (Loan Key)												
सीएस-डीआरएमएस टीम	प्राप्ति तारीख	कार्रवाई की तारीख	की	ऋण वर्गीकरण									

भाग ए : ऋण पहचान के ब्योरे

ऋण पंजीकरण सं.										
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ऋण की राशि			उधारकर्ता के ब्योरे
	मुद्रा	राशि	उधारकर्ता का नाम और पता (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में) संपर्ककर्ता व्यक्ति का नाम पदनाम फोन सं. फैक्स सं. ई-मेल आइडी :
करार के अनुसार			
संशोधित			

भाग बी : वास्तविक लेनदेन के ब्योरे

1. माह के दौरान आहरण द्वारा कमी :

शृंखला सं.	दिनांक (वववव/मम/दिदि) (कृपया नीचे टिप्पणी देखें)	मुद्रा	राशि	प्रतिबद्ध लेकिन माह के अंत तक आहिरत न किए गए ऋण की राशि (ऋण की मुद्रा में)	
				मुद्रा	राशि

टिप्पणी : 1. माल अथवा सेवाओं के आयात के मामले में, आहरण द्वारा कमी की तारीख के सामने आयात की तारीख दी जाए।

2. वित्तीय पट्टा के मामले में माल के अधिग्रहण की तारीख को आहरण द्वारा कमी की तारीख के रूप में लिखा जाए।

3. प्रतिभूतिकृत लिखत के मामले में, निर्गम की तारीख को आहरण द्वारा कमी की तारीख के रूप में लिखा जाए।

2. भविष्य में आहरित किए जाने वाले ऋण की बकाया राशि की अनुसूची :

श्रृंखला सं.	आहरण द्वारा कमी का प्रत्याशित दिनांक (वववव/मम/दिदि)	मुद्रा	राशि	एक से ज़्यादा एकसमान किस्तें हो तो	
				आहरणों की कुल सं.	एक कैलेंडर वर्ष के दौरान कुल आहरणों की सं.

3. महीने के दौरान आहरण द्वारा कमी के उपयोग के ब्योरे :

श्रृंखला सं.	दिनांक (वर्ष/माह/दिनांक)	प्रयोजन कूट (बॉक्स 1 देखें)	देश	मुद्रा	राशि	नवीन/ संवितरण/ विदेश में धारित खाते से

4. _____ महीने की शुरुआत में बकाया विदेश में रखी गई राशि :

दिनांक (वर्ष/माह/दिनांक)	बैंक और शाखा का नाम	खाता सं.	मुद्रा	राशि

5. विदेश में रखी गई राशि का उपयोग

दिनांक (वर्ष/माह/दिनांक)	बैंक और शाखा का नाम	खाता सं.	मुद्रा	राशि	प्रयोजन

6. महीने के दौरान ऋण भुगतान

श्रृंखला सं.	प्रयोजन	विप्रेषण की तारीख	मुद्रा	राशि	विप्रेषण का स्रोत (बॉक्स 2 देखें)	मूल राशि की समयपूर्व चुकौती (हाँ/ना)*
	मूल राशि					
	ब्याज @ दर					
	अन्य (स्पष्ट करें)					

* समयपूर्व भुगतान के मामले में ब्योरे दें: स्वतः/अनुमोदित मार्ग / अनुमोदन सं.

दिनांक :

राशि :

7. महीने के दौरान व्युत्पन्न लेनदेन (ब्याज दर, मुद्रा स्वॉप) (यदि कोई हो तो)

स्वैप का प्रकार	स्वैप-ब्यापारी		काउंटर पार्टी		लागू होने की तारीख
	नाम	देश	नाम	देश	
ब्याज दर स्वैप					
मुद्रा स्वैप					
अन्य (स्पष्ट करें)					
श्रृंखला सं.	नई मुद्रा	नई मुद्रा पर ब्याज दर	ऋण मुद्रा पर नयी ब्याज दर	स्वैप सौदे की परिपक्वता की तारीख	

8. परिशोधित मूल राशि की चुकौती अनुसूची (अगर परिशोधित / ब्याज दर स्वैप किया गया हो तो)

दिनांक (वर्ष/माह/दिनांक) (पहली चुकौती की तारीख)	मुद्रा	प्रत्येक लेनदेन में विदेशी मुद्रा में राशि	एक से अधिक एक समान किस्तें हों तो		वार्षिकी दर (अगर वार्षिकी भुगतान हो तो)
			किस्तों की कुल सं.	एक कैलेंडर वर्ष में भुगतानों की सं. (1,2,3,4,6,12)	

9. महीने के अंत में बकाया ऋण की राशि :

मुद्रा _____

राशि: _____

(रिज़र्व बैंक के उपयोग के लिए)

हम इसके द्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार दिए गए उक्त ब्योरे सत्य और सही हैं। कोई भी महत्वपूर्ण सूचना रोकी / अथवा गलत नहीं दी गई है।

स्थान : _____ मुहर

दिनांक : _____

प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर)

नाम: _____

पदनाम : _____

(उधारकर्ता के उपयोग के लिए)

कंपनी सचिव / सनदी लेखाकार का प्रमाणपत्र

हम इसके द्वारा प्रमाणित करते हैं कि सरकार अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुसार अथवा अनुमोदन मार्ग/ स्वतः अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत लिए गए ईसीबी को लेखा बहियों में हिसाब में लिया गया है। आगे यह कि ईसीबी आय का _____ प्रयोजन के लिए उधारकर्ता ने उपयोग किया है। हमने ईसीबी आय के उपयोग से संबंधित सभी दस्तावेजों और रिकार्डों का सत्यापन किया है और उसे सही पाया है और वे ऋण करार के शर्तों और भारत सरकार (वित्त मंत्रालय) अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा अथवा अनुमोदन मार्ग/ स्वतः अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत स्वीकृत अनुमोदन के अनुसार है और सरकार द्वारा जारी ईसीबी दिशानिर्देशों के अनुसार हैं।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

स्थान :

नाम और पता

दिनांक :

पंजीकरण सं.

[मुहर]

प्राधिकृत व्यापारी का प्रमाणपत्र

हम इसके द्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि हमारे रिकार्ड के अनुसार ऋण चुकौती, बकाया और चुकौती अनुसूची के बारे में ऊपर दिए गए ब्योरे सत्य और सही हैं। ईसीबी का आहरण, उपयोग और उसकी चुकौती की जाँच की गई और प्रमाणित किया जाता है कि ईसीबी के ऐसे आहरण , उपयोग और उसकी चुकौती ईसीबी दिशानिर्देशों के अनुसार है।

(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

[मुहर]

स्थान : _____

नाम: _____

दिनांक : _____

पदनाम : _____

प्राधिकृत व्यापारी का नाम और पता

यूनिफार्म कूट सं. :

फार्म- टीसी

17 अप्रैल 2004 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.87 का संलग्नक(अनुबंध)										
भाग I :-----माह /वर्ष के दौरान सभी शाखाओं द्वारा दिये गये व्यापारिक उधार का अनुमोदन										
प्राधिकृत व्यापारी का नाम:						संपर्ककर्ता व्यक्ति:				
पता :						टेलीफोन नं.:				
						फैक्स:				
क्रम संख्या	मंजूरी देने की तारीख	ऋण पहचान संख्या	उधारकर्ता की श्रेणी	उधारदाता* का नाम	उधारदाता* का देश	करेंसी	राशि	अमरीकी डॉलर में समतुल्य राशि	व्याज दर	अमरीकी डालर में अन्य प्रभार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	कुल									

फार्म - टीसी		17 अप्रैल 2004 का एपी (डीआईआर सिरीज़)परिपत्र सं. 87 का अनुबंध				
भाग I : -----माह /वर्ष के दौरान सभी शाखाओं द्वारा दिए गए व्यापारिक उधार का अनुमोदन						
	ऋण की अवधि		ऋण का स्वरूप**		आयात की मद / प्रस्तावित आयात	
समग्र लागत	दिनों/महीनों/ वर्षों की संख्या	समय अवधि की इकाई	आपूर्तिकर्ता का ऋण/ क्रेता का ऋण	अल्पकालिक व्यापार ऋण/ दीर्घकालीन व्यापार ऋण	विवरण	श्रेणी***
12	13	14	15	16	17	18

- I. आपूर्तिकर्ता का ऋण (एससी)
- II. क्रेता का ऋण (बीसी)
- III. अल्पकालिक व्यापार ऋण (एसटीसी)(एक वर्ष की परिपक्वता अवधि)
- IV. दीर्घकालीन व्यापार ऋण (एलटीसी) (एक वर्ष से अधिक तथा तीन वर्षों से कम परिपक्वता अवधि)
- V. कुल व्यापार ऋण (टीसी) (I+II)
- * अथवा आपूर्तिकर्ता
- ** कृपया संबंधित कोड सं. जैसे (एससी) अथवा (बीसी) अथवा (एसटीसी) अथवा (एलटीसी) टाइप करें
- *** पेट्रोलियम ऑइल लुब्रिकेंट्स, कैपिटल गुड्स, अन्य
- टिप्पणी 1 ऋण पहचान संख्या का फार्मेट है : टीसी/(बैंक/ शाखा का नाम) / (पहचान संख्या)
- टिप्पणी 2 कॉलम सं. 8 से 13 तक की सूचना केवल अंकों में दी जाए। इन कॉलमों में अक्षर न लिखे जाएं।
- टिप्पणी 3 कॉलम सं. 2 में तारीख का कॉलम है : वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष /माह माह /दिन दिन उदाहरणार्थ 31 दिसंबर 2003 इस प्रकार से लिखा जाए: 2003/12/31

17 अप्रैल 2004 का ए.पी.(डीआई आर सिरीज़) परिपत्र सं.87 का संलग्नक

फार्म - टीसी

भाग II : _____ (माह)/(वर्ष) के दौरान व्यापारिक उधार का संवितरण, उपयोग और ऋण शोधन											
क्रम संख्या	ऋण पचान संख्या	अनुमोदित राशि (अमरीकी डालर में)	संवितरण (अमरीकी डालर में)	उपयोग (अमरीकी डालर में)	चुकौती (अमरीकी डालर में)					इनका दिनांक	
					मूल	ब्याज	अन्य प्रभार	कुल (6+7+8)	बकाया (4-6)	पोतलदान	अंतिम अदायगी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12.

नोट 1 : स्तंभ सं. 1, 3 से 10 में सूचना सिर्फ अंकों में भरी जाए। इन स्तंभों में कोई अक्षर न लिखे जाएं।

नोट 2 : स्तंभ सं. 11,12 में दिनांक फार्मेट (वववव/मम/दिदि)। उदारण के लिए 31 दिसंबर 2003 को 2003/12/31 के रूप में लिखा जाए।

प्राधिकृत व्यापारी द्वारा प्रमाणपत्र

1. _____ माह के दौरान हमारी सभी शाखा/ओं से आयात हेतु अनुमोदित सभी व्यापारिक उधारों को इस विवरण में शामिल किया गया है।
2. ऐसे व्यापारिक उधार के उपयोग से संबंधित सभी आयात दस्तावेजों (बिल ऑफ एंट्री की ईसी प्रति सहित) का सत्यापन कर लिया गया है और इन्हें सही पाया गया है।
3. हमारी शाखा/ओं द्वारा अनुमोदित सभी व्यापारिक उधारों के आहरण, उपयोग और पुनर्भुगतान की जांच की गई और प्रमाणित किया जाता है कि व्यापारिक उधारों के ऐसे आहरण, उपयोग और चुकौती, आयात के लिए व्यापारिक उधारों पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 17 अप्रैल 2004 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र संख्या 87 में, समय-समय पर इसके संशोधित संस्करणों में दिए गए, अनुदेशों के अनुरूप है।

स्थान : _____

दिनांक : _____

मुहर

_____ प्राधिकृत व्यापारी के हस्ताक्षर

अनुबंध V

प्राधिकृत व्यापारी बैंकों द्वारा जारी गारंटी/वचनपत्र /लेटर ऑफ कंफर्ट का विवरण

----- को समाप्त तिमाही

प्राधिकृत व्यापारी का नाम :

संपर्ककर्ता व्यक्ति :

पता :

टेलीफोन :

ई-मेल :

फैक्स :

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

निवासियों की ओर से	गारंटी / वचनपत्र / लेटर ऑफ कंफर्ट	
	जारी किया गया	
	क्रेता ऋण	आपूर्तिकर्ता ऋण
व्यापार ऋण (3 वर्ष से कम)		
(ए) एक वर्ष तक		
(बी) एक वर्ष से ज्यादा तथा तीन वर्षों से कम**		
** (पूंजीगत माल के आयात तक सीमित)		

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान :

दिनांक :

मुहर

अनुबंध VI

औसत परिपक्वता की गणना – उदाहरण

एबीसी लि.

ऋण राशि = 2 मिलियन अमरीकी डॉलर

आहरण/चुकौती की तारीख (मम/दिदि/वववव)	आहरण	चुकौती	शेष	उधारकर्ता के पास शेष रहे दिनों की संख्या**	उत्पाद = (स्तंभ 4* स्तंभ 5)/(ऋण राशि* 360
स्तंभ 1	स्तंभ 2	स्तंभ 3	स्तंभ 4	स्तंभ 5	स्तंभ 6
05/11/2007	0.75		0.75	24	0.0250
06/05/2007	0.50		1.25	85	0.1476
08/31/2007	0.75		2.00	477	1.3250
12/27/2008		0.20	1.80	180	0.4500
06/27/2009		0.25	1.55	180	0.3875
12/27/2009		0.25	1.30	180	0.3250
06/27/2010		0.30	1.00	180	0.2500
12/27/2010		0.25	0.75	180	0.1875
06/27/2011		0.25	0.50	180	0.1250
12/27/2011		0.25	0.25	180	0.0625
06/27/2012		0.25	0.00		

औसत परिपक्वता = 3.2851

**द्वारा परिकलित=360दिन (पहली तारीख,दूसरी तारीख,360)

परिशिष्ट

बाह्य वाणिज्यिक उधार और व्यापारिक उधार के संबंध में इस मास्टर परिपत्र में समेकित अधिसूचनाओं/ए.पी. (डीआइआर सिरीज़)परिपत्रों की सूची

क्रम सं.	अधिसूचना / परिपत्र	दिनांक
1.	फेमा 3/2000-आरबी	3 मई, 2000
2.	फेमा 126/2004-आरबी	13 दिसंबर, 2004
3.	फेमा 127/2005-आरबी	5 जनवरी, 2005
4.	फेमा 129/2005-आरबी	20 जनवरी, 2005
5.	फेमा 142/2005-आरबी	6 दिसंबर, 2005
6.	फेमा 157/2007-आरबी	30 अगस्त, 2007
7.	फेमा 194/2009-आरबी	17 जून, 2009
8.	फेमा 197/2009-आरबी	22 सितंबर, 2009

1.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.41	29 अप्रैल, 2002
2.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.29	18 अक्तूबर, 2003
3.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.60	31 जनवरी, 2004
4.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.75	23 फरवरी, 2004
5.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.82	1 अप्रैल, 2004
6.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.87	17 अप्रैल, 2004
7.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.15	1 अक्तूबर, 2004
8.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.24	1 नवंबर, 2004
9.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.40	25 अप्रैल, 2005
10.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.5	1 अगस्त, 2005
11.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.15	4 नवंबर, 2005
12.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.23	23 जनवरी, 2006
13.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.34	12 मई, 2006
14.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.17	4 दिसंबर, 2006
15.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.44	30 अप्रैल, 2007
16.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.60	21 मई, 2007
17.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.04	7 अगस्त, 2007

18.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.10	26 सितंबर, 2007
19.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.42	28 मई, 2008
20.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.43	29 मई, 2008
21.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.46	02 जून, 2008
22.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.1	11 जुलाई, 2008
23.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.16	22 सितंबर, 2008
24.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.17	23 सितंबर, 2008
25.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.20	8 अक्तूबर, 2008
26.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.26	22 अक्तूबर, 2008
27.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.27	27 अक्तूबर, 2008
28.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.39	08 दिसंबर, 2008
29.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.46	2 जनवरी, 2009
30.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.58	13 मार्च, 2009
31.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.64	28 अप्रैल, 2009
32.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.65	28 अप्रैल, 2009
33.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.71	30 जून, 2009
34.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.19	9 दिसंबर, 2009
35.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.28	25 जनवरी, 2010
36.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.33	9 फरवरी, 2010
37.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.38	2 मार्च, 2010
38.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.39	2 मार्च, 2010
39.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.40	2 मार्च, 2010
40.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.44	29 मार्च, 2010
41.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.51	11 मई, 2010
42.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.04	22 जुलाई 2010
43.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.08	12 अगस्त 2010
44.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.01	04 जुलाई 2011
45.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.11	07 सितंबर 2011
46.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.25	23 सितंबर 2011
47.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.26	23 सितंबर 2011
48.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.27	23 सितंबर 2011
49.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.28	26 सितंबर 2011

50.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.29	26 सितंबर 2011
51.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.30	27 सितंबर 2011
52.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.44	15 नवंबर 2011
53.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.51	23 नवंबर 2011
54.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.52	23 नवंबर 2011
55.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.59	19 दिसंबर 2011
56.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.64	05 जनवरी 2012
57.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.69	25 जनवरी 2012
58.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.70	25 जनवरी 2012
59.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.75	07 फरवरी 2012
60.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.85	29 फरवरी 2012
61.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.99	30 मार्च 2012
62.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.100	30 मार्च 2012
63.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.111	20 अप्रैल 2012
64.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.112	20 अप्रैल 2012
65.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.113	24 अप्रैल 2012
66.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.119	07 मई 2012
67.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.134	25 जून 2012
68.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.136	26 जून 2012